



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आषाढ 10, गुरुवार, शाके 1943-जुलाई 1, 2021  
Asadha 10, Thursday, Saka 1943- July 1, 2021

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-गुप-2

अधिसूचना

जयपुर, जून 29, 2021

**जी.एस.आर.294 :-**भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के पद (पदों) पर भर्ती तथा उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

**राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा, नियम 2021**

**भाग 1**

**साधारण**

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी(राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 है।

(2)ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3)ये नियम, राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 द्वारा शासित पदों पर, उन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, लागू नहीं होंगे।

2. परिभाषाएं.- जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में, -

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी"से राज्य सेवा में सम्मिलित पदों के संबंध में सरकार और ऐसा अन्य अधिकारी, जिसे सरकार द्वारा विशेष या सामान्य आदेश द्वारा ऐसी शर्तों पर जो वह उचित समझे, इस निमित्त शक्तियां प्रत्यायोजित की जाये, अभिप्रेत है और अधीनस्थ सेवा में सम्मिलित पदों के संबंध में निदेशक अभिप्रेत है और इसमें ऐसे अन्य अधिकारी या प्राधिकारी सम्मिलित हैं जो सरकार के अनुमोदन से निदेशक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग और उसके कृत्यों को करने के लिए विशेष रूप से सशक्त किये जाये;

(ख) "बोर्ड"से राजस्थान स्टाफ चयन बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "आयोग"से राजस्थान लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

- (घ) "समिति"से नियम 31 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;
- (ङ) "विभाग"से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान अभिप्रेत है;
- (च) "सीधी भर्ती"से इन नियमों के भाग 4 में विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी भर्ती अभिप्रेत है;
- (छ) "निदेशक"से निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान अभिप्रेत है;
- (ज) "सरकार"से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;
- (झ) "सेवा का सदस्य"से इन नियमों या इन नियमों द्वारा अतिष्ठित नियमों या आदेशों के उपबंधों के अधीन नियमित चयन के आधार पर सेवा में के किसी पद पर नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (ञ) "अनुसूची"से इन नियमों से संलग्न अनुसूची (अनुसूचियां) अभिप्रेत है;
- (ट) "सेवा"से राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सेवा और, यथास्थिति, राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अधीनस्थ सेवा अभिप्रेत है;
- (ठ) "सेवा" या "अनुभव" जहाँ कहीं भी इन नियमों में उच्चतर पद (पदों) पर पदोन्नति के लिए पात्र किसी निम्नतर पद (पदों) को धारण करने वाले व्यक्ति की दशा में एक सेवा से दूसरी सेवा में या सेवा के भीतर एक प्रवर्ग से दूसरे प्रवर्ग में या वरिष्ठ पद (पदों) पर पदोन्नति के लिए एक शर्त के रूप में विहित हो, उसमें ऐसी कालावधि सम्मिलित होगी, जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् ऐसे निम्नतर पदों पर निरन्तर कार्य किया हो;

**टिप्पण:** सेवा के दौरान की ऐसी अनुपस्थिति उदाहरणार्थ प्रशिक्षण, छुट्टी और प्रतिनियुक्ति इत्यादि, जो राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अधीन "इयूटी"के रूप में मानी जाती है, पदोन्नति के लिए अपेक्षित अनुभव या सेवा की संगणना करने के लिए सेवा के रूप में गिनी जायेगी।

- (ड) "राज्य"से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;
- (ढ) "अधिष्ठायी नियुक्ति"से इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीति से सम्यक् चयन के पश्चात् किसी अधिष्ठायी रिक्ति पर इन नियमों के उपबंधों के अधीन की गयी नियुक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत परिवीक्षा पर या परिवीक्षाधीन व्यक्ति के रूप में की गयी कोई नियुक्ति भी है जिस पर परिवीक्षाकाल की समाप्ति के पश्चात् स्थायीकरण किया जाता हो;

**टिप्पण:** इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीति से सम्यक् चयन के अन्तर्गत, अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति के सिवाय, सेवा के प्रारम्भिक गठन पर की गयी या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित किन्हीं भी नियमों के उपबंधों के अनुसार की गयी भर्ती सम्मिलित होगी; और

- (ण) "वर्ष"से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

3. **निर्वचन.-** जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955का अधिनियम सं. 8) इन नियमों के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा, जिस प्रकार वह किसी राजस्थान अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

## भाग 2

### संवर्ग

4. **सेवा की संरचना और उसमें पदों की संख्या.-** (1) सेवा के प्रत्येक प्रवर्ग में सम्मिलित पद (पदों) का स्वरूप ऐसा होगा जो अनुसूची-I या, यथास्थिति, अनुसूची-II के स्तंभ 2 में यथा विनिर्दिष्ट है।

(2) सेवा में के पद (पदों) की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये:

परन्तु सरकार, -

- (क) आवश्यक पाये जाने पर किसी भी स्थायी या अस्थायी पद (पदों) का समय-समय पर सृजन कर सकेगी और किसी व्यक्ति को किसी भी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना ऐसे किसी पद (पदों) को उसी रीति से समाप्त कर सकेगी; और
- (ख) किसी व्यक्ति को किसी प्रतिकर या दावा का हकदार बनाये बिना किसी स्थायी या अस्थायी पद को समय-समय पर रिक्त या प्रास्थगित रख सकेगी या समाप्त या व्यपगत होने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी।

5. **सेवा का आरम्भिक गठन.-** सेवा निम्नलिखित से गठित होगी,-

- (i) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को अनुसूची-I या अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट पद (पदों) को अधिष्ठायी रूप से धारण करने वाले समस्त व्यक्ति;
- (ii) इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व सेवा में सम्मिलित पद (पदों) पर नियमित रूप से भर्ती किये गये समस्त व्यक्ति; और
- (iii) नियम 35 के अधीन किसी अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति को छोड़कर, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गए समस्त व्यक्ति।

## भाग 3

### भर्ती

6. **भर्ती की रीतियां.-** (1) इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात् सेवा में के पद (पदों) पर भर्ती अनुसूची-I या, यथास्थिति, अनुसूची-II के स्तम्भ 3 और 4 में यथा उपदर्शित अनुपात में निम्नलिखित रीतियों से की जायेगी, अर्थात्:-

- (i) इन नियमों के भाग 4 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा; और
- (ii) इन नियमों के भाग 5 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार पदोन्नति द्वारा।

(2) उपर्युक्त रीतियों द्वारा सेवा में भर्ती इस प्रकार की जायेगी कि प्रत्येक रीति से सेवा में नियुक्त व्यक्ति किसी भी समय इन नियमों/अनुसूचियों में अधिकथित प्रत्येक प्रवर्ग के लिए समय-समय पर स्वीकृत कुल संवर्ग संख्या के प्रतिशत से अधिक नहीं हों:

परन्तु ,-

- (i) यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, जहां आवश्यक हो, आयोग से परामर्श करके यह समाधान हो जाये कि किसी वर्ष-विशेष में भर्ती की किसी एक रीति से नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो नियुक्ति विहित अनुपात को शिथिल करते हुए, अन्य रीति से उसी प्रकार की जा सकेगी जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट है।
- (ii) आपात के दौरान थल सेना/वायुसेना/नौसेना में पदग्रहण करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति, पदोन्नति, वरिष्ठता और स्थायीकरण आदि ऐसे आदेशों और अनुदेशों से विनियमित होंगे जो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जायें, बशर्ते कि इन्हें भारत सरकार द्वारा इस विषय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, यथावश्यक परिवर्तन सहित, विनियमित किया जाये।

**7. मृत/स्थायी रूप से अशक्त सशस्त्र बल सेवा कार्मिकों/पैरा-मिलिटरी कार्मिकों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति.-** (1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी, इन नियमों के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताओं और अन्य सेवा शर्तों को पूरा करने और कार्मिक विभाग और यदि पद आयोग के कार्यक्षेत्र के भीतर आता है तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहमति के अध्यक्षीन रहते हुए,-

- (i) सीधी भर्ती द्वारा पे मैट्रिक्स, समय-समय पर यथा संशोधित, के लेवल एल-9 तक के पदों की भरे जाने वाली रिक्तियां राज्य के सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी बलों के ऐसे किसी सदस्य, जो 1.4.1999 को या उसके पश्चात् विद्रोह की जवाबी कार्रवाइयों और आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाइयों सहित किसी प्रतिरक्षा कार्रवाई में स्थायी रूप से अशक्त हो जाता है, के किसी एक आश्रित को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके;
- (ii) सीधी भर्ती द्वारा पे मैट्रिक्स, समय-समय पर यथा संशोधित, के लेवल एल-10 तक के पदों की भरे जाने वाली रिक्तियां, राज्य के सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी बलों के ऐसे किसी सदस्य, जो 1.4.1999 को या उसके पश्चात् विद्रोह की जवाबी कार्रवाइयों और आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाइयों सहित किसी प्रतिरक्षा कार्रवाई में मारा जाता है, के किसी एक आश्रित को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके;
- (iii) सीधी भर्ती द्वारा पे मैट्रिक्स, समय-समय पर यथा संशोधित, के लेवल एल-9 तक के पदों की भरे जाने वाली रिक्तियाँ, राज्य के सशस्त्र बलों के किसी सदस्य, जो 1.1.1971 से 31.3.1999 तक की कालावधि के दौरान युद्ध या विद्रोह की जवाबी कार्रवाइयों और आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाइयों सहित किसी प्रतिरक्षा कार्रवाई में मारा गया था या स्थायी रूप से अशक्त हो गया था, के किसी एक आश्रित को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके, भर सकेगा:

परन्तु,-

- (क) यदि सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी के स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक राज्य सरकार के अधीन स्वयं के लिए रोजगार प्राप्त करने में समर्थ और इच्छुक हों तो उन्हें रोजगार दिया जायेगा;

(ख) यदि सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी का कार्मिक, जिसकी मृत्यु हो गयी है या जो स्थायी रूप से अशक्त हो गया है, की विधवा या बच्चे तुरन्त रोजगार प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं तो नियुक्ति के लिए पात्रता अर्जित करने पर उन्हें रोजगार दिया जायेगा।

(2) सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी बलों के कार्मिक के आश्रित को नियुक्ति केवल तब दी जायेगी जब उनमें से किसी एक ने भारत सरकार के विद्यमान संबंधित सेवा नियमों के उपबंधों के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं पा ली है।

(3) यदि सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी बलों के कार्मिक की मृत्यु के समय उनका कोई भी अन्य आश्रित केन्द्रीय/किसी राज्य सरकार के अधीन या केन्द्रीय/किसी राज्य सरकार के पूर्णतः या भागतः स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कानूनी बोर्ड/संगठन/निगम के अधीन नियमित आधार पर पहले से नियोजित हो तो ऐसे आश्रित को नियुक्ति नहीं दी जायेगी:

परन्तु यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां विधवा स्वयं अपने लिए रोजगार चाहती है।

(4) ऐसा आश्रित उक्त प्रयोजन के लिए आवेदन सशस्त्र बलों के मामले में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को और पैरा-मिलिटरी बलों के मामले में पैरा-मिलिटरी यूनिट के कमान अधिकारी को सम्बोधित करेगा जो उस यूनिट के प्रधान द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित हो जहां सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी बलों का मृत/स्थायी रूप से अशक्त सदस्य मृत्यु/ स्थायी रूप से अशक्त होने के समय सेवारत था। ऐसे आवेदन पर, सामान्य भर्ती नियमों को शिथिल करते हुए इस शर्त के अध्यधीन विचार किया जायेगा कि आश्रित ऐसे पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव, सिवाय चतुर्थ श्रेणी नियुक्ति के, जिसके लिए शैक्षिक अर्हता शिथिल की जायेगी, तथा पद के लिए विहित आयु सीमा पूरी करता है और आवेदक सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्हित भी है।

(5) ऐसे आश्रित का आवेदन आश्रित द्वारा रखी जाने वाली अर्हताओं के अनुसार उपयुक्त नियुक्ति के लिए संबंधित जिला कलक्टर को अग्रेषित किया जायेगा। संबंधित जिले में रिक्ति उपलब्ध न होने की दशा में आवेदन, खण्ड आयुक्त को भेजा जायेगा जो अपनी अधिकारिता के अधीन के किसी भी जिले में नियुक्ति की व्यवस्था करेगा। यदि खण्ड आयुक्त की अधिकारिता के अधीन कोई रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो तो नियुक्ति देने के लिए खण्ड आयुक्त द्वारा आवेदन, सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा।

(6) आवेदन में निम्नलिखित सूचनाएं होंगी:-

- (i) सशस्त्र बल/पैरा-मिलिटरी बल के मृत/स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक का नाम और पदनाम;
- (ii) यूनिट जिसमें वह मृत्यु/स्थायी रूप से अशक्त होने के पूर्व कार्यरत था/थी;
- (iii) उसे युद्ध में हताहत या स्थायी रूप से अशक्त घोषित करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ मृत्यु की तारीख और स्थान; और
- (iv) आवेदक का नाम, जन्म की तारीख, शैक्षिक अर्हता और मृतक के साथ उसका संबंध (प्रमाणपत्रों सहित)।

**स्पष्टीकरण:** इस नियम के प्रयोजन के लिए,-

(क) "सशस्त्र बल"से संघ की सेना, नौसेना और वायुसेना अभिप्रेत है;

- (ख) "आश्रित"से, मृत/स्थायी रूप से अशक्त व्यक्ति का पति या पत्नी, पुत्र/दत्तक पुत्र, अविवाहित पुत्री/अविवाहित दत्तक पुत्री अभिप्रेत है जो मृत/स्थायी रूप से अशक्त सशस्त्र बल सेवा कार्मिक/पैरा-मिलिटरी कार्मिक पर पूर्णतया आश्रित थे;

**टिप्पणः-** दत्तक पुत्र/पुत्री से, मृत/स्थायी रूप से अशक्त व्यक्ति द्वारा उसके जीवनकाल में वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया गया पुत्र/पुत्री अभिप्रेत है।

- (ग) "पैरा-मिलिटरी बल"से सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और कोई अन्य पैरा-मिलिटरी बल अभिप्रेत है जो केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये;

- (घ) "स्थायी रूप से अशक्त व्यक्ति"से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो दिव्यांगजन व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 49) में यथा उपबंधित "संदर्भित दिव्यांगजन" पद की परिभाषा के अधीन आता है।

#### 8. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.- (1)

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण, भर्ती अर्थात् सीधी भर्ती और पदोन्नति के समय प्रवृत्त विधि के उपबंध के अनुसार होगा।

(2) पदोन्नति के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां वरिष्ठता-एवं-योग्यता तथा योग्यता द्वारा भरी जायेंगी।

(3) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए ऐसे पात्र अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हैं, अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका कौनसा रैंक है, इस पर ध्यान न देते हुए उसी क्रमानुसार नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम, सीधी भर्ती के लिए आयोग/बोर्ड द्वारा उसके कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाले पद (पदों) के लिए और अन्य मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा और पदोन्नत किये जाने वाले व्यक्तियों के मामले में समिति या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार की गयी सूची में दिये गये हैं।

(4) नियुक्तियां सर्वथा सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए विहित पृथक्-पृथक् रोस्टरों के अनुसार की जायेंगी।

(5) किसी वर्ष-विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों में के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्कर्त्ती तीन भर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रणीत की गयी रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी:

परन्तु,-

- (i) यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा:
- (ii) इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति,

अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्पूर्वी वर्षों में उपलब्ध हो।

(6) किसी वर्ष-विशेष में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों में के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रणीत किया जायेगा जब तक अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों का/के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाता है/जाते हैं। किन्हीं भी परिस्थितियों में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति पदोन्नति द्वारा सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी से नहीं भरी जायेगी। आपवादिक मामलों में, जहां नियुक्ति प्राधिकारी लोकहित में यह महसूस करे कि रिक्त आरक्षित पद को अर्जेंट अस्थायी आधार पर सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से पदोन्नति द्वारा भरना आवश्यक है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी कार्मिक विभाग को निर्देश कर सकेगा और कार्मिक विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अर्जेंट अस्थायी आधार पर सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को पदोन्नत करके ऐसे पद (पदों) को पदोन्नति आदेश में यह स्पष्ट उल्लिखित करते हुए भर सकेगा कि सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को, जिन्हें अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्त पद (पदों) के प्रति अर्जेंट अस्थायी आधार पर पदोन्नत किया जा रहा है, जब कभी भी उस प्रवर्ग का अभ्यर्थी उपलब्ध हो, वह पद रिक्त करना होगा:

परन्तु सेवा के किसी संवर्ग के पद या पदों के वर्ग/प्रवर्ग/समूह की रिक्तियों को वहां अग्रणीत नहीं किया जायेगा, जहां पदोन्नतियां इन नियमों के अधीन केवल योग्यता के आधार पर की जाती हैं।

**9. पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.-**पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती के समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुसार होगा। किसी वर्ष-विशेष में पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी।

**10. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.-** सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण, विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त, 10 प्रतिशत होगा। किसी वर्ष-विशेष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में से पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी।

**स्पष्टीकरण:** इस नियम के प्रयोजन के लिए 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' वे व्यक्ति होंगे जो राजस्थान के मूल निवासी हैं और जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की विद्यमान स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते हैं और जिनके कुटुम्ब की कुल वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये से कम है। इस प्रयोजन के लिए 'कुटुम्ब' में, वह व्यक्ति, जो आरक्षण का फायदा चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु की बहिन/भाई, उसका/उसकी पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु की सन्तानें भी सम्मिलित होंगी। 'आय' में समस्त स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, कारबार, वृत्ति आदि से आय सम्मिलित होगी और यह आवेदन के वर्ष से

पूर्व वित्तीय वर्ष की आय होगी। ऐसे व्यक्ति भी, जिनका कुटुम्ब निम्नलिखित आस्तियों में से किसी भी आस्ति का स्वामी है या उन्हें रखता है, उक्त कुटुम्ब-आय को विचार में लाए बिना "आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों" के रूप में पहचान किये जाने से अपवर्जित किये जायेंगे:-

- (i) पांच एकड़ और अधिक की कृषि भूमि;
- (ii) 1000 वर्ग फुट और अधिक का आवासीय फ्लैट;
- (iii) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और अधिक का आवासीय भू-खण्ड; या
- (iv) अधिसूचित नगरपालिकाओं से भिन्न क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और अधिक का आवासीय भू-खण्ड।

**11. महिलाओं के लिए रिक्तियों का आरक्षण.-** सीधी भर्ती में, महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण 30 प्रतिशत प्रवर्गवार होगा जिसमें से एक तिहाई विधवाओं और विछिन्न विवाह महिला-अभ्यर्थियों के लिए 80:20 के अनुपात में होगा। किसी वर्ष-विशेष में या तो विधवा या विछिन्न विवाह-महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विछिन्न विवाह-महिलाओं से विपर्ययेन, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विछिन्न विवाह-अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में न भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेंगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चात्पूर्वी वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विछिन्न विवाह-महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।

**स्पष्टीकरण:** विधवा के मामले में, उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और विछिन्न विवाह-महिला के मामले में उसे विवाह-विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

**12. उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.-** उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण उस वर्ष में सेवा के अधीन सीधी भर्ती के लिए चिह्नित, आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर की कुल रिक्तियों का 2 प्रतिशत होगा। किसी वर्ष-विशेष में पात्र और उपयुक्त खिलाड़ियों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी और ऐसी रिक्तियां पश्चात्पूर्वी भर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेंगी। खिलाड़ियों के लिए आरक्षण क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा तथा इसे उस प्रवर्ग में समायोजित किया जायेगा, जिससे वे खिलाड़ी संबंधित हैं।

**स्पष्टीकरण:** "उत्कृष्ट खिलाड़ियों" से अभिप्रेत है और इसमें राज्य के ऐसे खिलाड़ी सम्मिलित हैं जिन्होंने,-

- (i) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यताप्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी खेलकूद के कोई



अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो;

या

- (ii) इण्डियन स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन या संबंधित मान्यताप्राप्त नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी खेलकूद के कोई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो;

या

- (iii) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यताप्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी खेलकूद के कोई राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

- (iv) इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी खेलकूद के ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में व्यक्तिगत स्पर्धा में या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

**13. राष्ट्रीयता.-** सेवा में नियुक्ति के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह-

- (क) भारत का नागरिक हो; या  
 (ख) नेपाल का प्रजाजन हो; या  
 (ग) भूटान का प्रजाजन हो; या  
 (घ) भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में आया तिब्बती शरणार्थी हो; या  
 (ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगाण्डा तथा संयुक्त तनजानिया गणतंत्र (पूर्ववर्ती टांगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मालावी, जैरे और इथियोपिया से आया हो:

परन्तु (ख), (ग), (घ) और (ङ) प्रवर्गों का कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा समुचित सत्यापन के पश्चात् पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

**14. अन्य देशों से भारत में आये व्यक्तियों की पात्रता की शर्तें.-** इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से अन्य देशों से भारत में आया हो, सेवा में भर्ती की पात्रता हेतु राष्ट्रीयता, आयु-सीमा और फीस या अन्य रियायतों संबंधी उपबंध ऐसे आदेशों या अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जायें और ऐसे आदेश या अनुदेश भारत सरकार द्वारा उस विषय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, यथावश्यक परिवर्तन सहित, विनियमित किये जायेंगे।

**15. रिक्तियों का अवधारण.-** (1) इन नियमों के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों की वास्तविक संख्या अवधारित करेगा।

(2) जहां कोई पद अनुसूची-I और अनुसूची-II में यथाविहित किसी एकल रीति से भरा जाना हो वहां इस प्रकार अवधारित रिक्तियां उस रीति से भरी जायेंगी।

(3) जहां कोई पद अनुसूची-I और अनुसूची-II में यथाविहित एक से अधिक रीतियों से भरा जाना हो वहां ऐसी प्रत्येक रीति के लिए उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन अवधारित रिक्तियों का प्रभाजन पहले ही भर लिये गये पदों की संपूर्ण संख्या के विहित अनुपात को बनाये रखते हुए किया जायेगा। यदि ऊपर विहित रीति से रिक्तियों के प्रभाजन के पश्चात् रिक्तियों का कोई भाग छूट जाये तो उसे पदोन्नति कोटे में अग्रता देते हुए, निरंतर चक्रीय क्रम में विहित विभिन्न रीतियों के कोटे के प्रति प्रभाजित किया जायेगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी, पूर्वतर वर्ष (वर्षों) की रिक्तियों को भी, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित था, वर्षवार अवधारित करेगा बशर्ते कि ऐसी रिक्तियां पहले अवधारित न की गयी हों और उस वर्ष में, जिसमें उनका भरा जाना अपेक्षित था, भरी न गयी हों।

**16. आयु.-** सेवा में के पद (पदों) पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी, आवेदनों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख के ठीक बाद आने वाली जनवरी के प्रथम दिन को राज्य सेवा के पद (पदों) के लिए 21 वर्ष और अधीनस्थ सेवा के पद (पदों) के लिए 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए:

परन्तु,-

- (i) उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को-
  - (क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक;
  - (ख) सामान्य प्रवर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक;
  - (ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष तक, शिथिल किया जायेगा।
- (ii) उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो उसकी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका था/ चुकी थी और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था/थी।
- (iii) अन्य भूतपूर्व कैदियों के मामले में, उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा बशर्ते कि वो दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था/थी और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था/थी।
- (iv) सेवा में के किसी पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों को, यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में होते, आयु सीमा में ही समझा जायेगा, चाहे उन्होंने आयोग/बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष अंतिम रूप से उपस्थित होने के समय ऊपरी आयु सीमा पार कर ली

हो और यदि वे अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर तक दिये जायेंगे।

- (v) कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उनके द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.) में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा यदि पारिणामिक आयु विहित न्यूनतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में समझा जायेगा।
- (vi) निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे सीधी भर्ती के लिए भर्ती बोर्ड के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा, यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे।
- (vii) राज्य, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम/निगम के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
- (viii) विधवाओं और विच्छिन्न-विवाह महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

**स्पष्टीकरण:** विधवा के मामले में, उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न-विवाह के मामले में उसे विवाह-विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

- (ix) यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।

**17. शैक्षणिक और तकनीकी अर्हताएं तथा अनुभव.-**अनुसूची-I या, यथास्थिति, अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट पद (पदों) पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हता रखेगा,-

- (i) अनुसूची-I या, यथास्थिति अनुसूची-II के स्तम्भ 5 में दी गयी अर्हताएं तथा अनुभव; और
- (ii) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान:

परन्तु ऐसा व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूचियों में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका है या उपस्थित हो रहा है, उस पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा किन्तु,-

- (i) जहां चयन लिखित परीक्षा के दो प्रक्रमों और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व;
- (ii) जहां चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व;

- (iii) जहां चयन केवल लिखित परीक्षा या, यथास्थिति, केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व,

उसे समुचित चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अर्जित कर लेने का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

**18. चरित्र.-** सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित करे। उसे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय जिसमें उसने अंतिम बार शिक्षा पायी थी, के प्राचार्य/शैक्षिक अधिकारी द्वारा प्रदत्त सचचरित्रता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए और साथ ही ऐसे दो प्रमाणपत्र, जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से छह मास से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हों, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने चाहिए जो उसके महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध न हों और न उससे संबंधित हों।

**टिप्पण: (1)** किसी न्यायालय द्वारा की गयी दोषसिद्धि मात्र में सचचरित्रता प्रमाणपत्र न दिये जाने का आधार अन्तर्वलित नहीं है। दोषसिद्धि की परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए और यदि उनमें नैतिक अधमता संबंधी कोई बात अन्तर्ग्रस्त नहीं है या उनका संबंध हिंसात्मक अपराधों या ऐसे आन्दोलनों से नहीं है, जिनका उद्देश्य विधि द्वारा स्थापित सरकार को हिंसात्मक तरीकों से उलटना हो तो दोषसिद्धि मात्र को निरहता नहीं समझा जाना चाहिए।

(2) ऐसे भूतपूर्व कैदियों के साथ, जिन्होंने कारावास में अपने अनुशासित जीवन से और पश्चात्कर्ती सदाचरण से अपने आप को पूर्णतया सुधरा हुआ सिद्ध कर दिया हो, सेवा में नियोजन के प्रयोजन के लिए इस आधार पर विभेद नहीं किया जाना चाहिए कि वे पहले सिद्धदोष ठहराये जा चुके हैं। उन व्यक्तियों को, जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिनमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त नहीं है, पूर्णतया सुधरा हुआ मान लिया जायेगा, यदि वे पश्चात्कर्ती देखरेख गृह के अधीक्षक की, या यदि किसी जिला-विशेष में ऐसे गृह नहीं हैं तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक की, इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें।

(3) उन व्यक्तियों से, जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए, जिनमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है, सिद्धदोष ठहराया गया है, पश्चात्कर्ती देखरेख गृह के अधीक्षक का या यदि किसी जिला-विशेष में ऐसा गृह नहीं है तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक का, कारागार के महानिरीक्षक द्वारा पृष्ठांकित इस आशय का, कि उन्होंने कारावास के दौरान अपने अनुशासित जीवन से तथा पश्चात्कर्ती देखरेख गृह में अपने पश्चात्कर्ती सदाचरण से यह सिद्ध कर दिया है कि वे अब पूर्णतः सुधर गये हैं अतः नियोजन के लिए उपयुक्त हैं, प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

**19. शारीरिक उपयुक्तता.-** सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक और शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो और यदि वह चयनित हो जाये तो उसे सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थी के मामले में जो पहले से राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत हो, ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से अभिमुक्त कर सकेगा यदि पूर्ववर्ती नियुक्ति के लिए उसकी स्वास्थ्य परीक्षा पहले ही कर ली गयी हो और उसके द्वारा धारित दोनों पदों के लिए स्वास्थ्य परीक्षा का आवश्यक मापमान नये पदों के कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन के तुल्य हो और आयु के कारण उस प्रयोजन के लिए उसकी कार्यदक्षता में कोई कमी न आयी हो।

**20. अनियमित या अनुचित साधनों का प्रयोग.-** कोई अभ्यर्थी, जो प्रतिरूपण करने का या बनावटी दस्तावेजों जिनमें गड़बड़ की गयी है, प्रस्तुत करने का या ऐसे कथन करने का जो सही नहीं हैं या मिथ्या हैं या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का या परीक्षा या साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या उनका प्रयोग करने का प्रयास करने या परीक्षा में प्रवेश पाने या साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार के अन्य अनियमित या अनुचित साधन काम में लाने का दोषी है या आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी/समिति द्वारा दोषी घोषित किया गया है तो दण्डक कार्यवाही किये जाने का दायी होने के अतिरिक्त , -

(क) अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग/समिति/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में प्रवेश पाने या किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा;

(ख) सरकार के अधीन नियोजन से सरकार द्वारा,

या तो स्थायी तौर पर या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।

**21. संयाचना.-** इन नियमों के अधीन अपेक्षित से अन्यथा, सीधी भर्ती के लिए किसी प्रकार की लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी तरीके से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे भर्ती के लिए निरहित कर सकेगा।

#### भाग 4

#### सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया

**22. आवेदन आमंत्रित करना.-** सेवा में के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आयोग/बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, भरी जाने वाली रिक्तियों को राजपत्र में या ऐसी अन्य रीति से, जो ठीक समझी जाये, विज्ञापित करके, आमंत्रित किये जायेंगे। विज्ञापन में यह खण्ड होगा कि ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित पद का पे मैट्रिक्स के लेवल में वेतन, इन नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जायेगा:

परन्तु इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करते समय आयोग/बोर्ड या, यथास्थिति नियुक्ति प्राधिकारी यदि उन्हें/उसे विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अनधिक की अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना चयन के लिए प्राप्त हो जाये, ऐसी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन भी कर सकेगा।

**23. सहायक निदेशक के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा.-** सहायक निदेशक के पद पर सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट स्कीम के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित की जायेगी।

**24. सीधी भर्ती की आवृत्ति.-** अनुसूची में विनिर्दिष्ट पद पर सीधी भर्ती वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी जब तक सरकार यह विनिश्चय न करे कि इन पदों में से किसी पर सीधी भर्ती किसी वर्ष-विशेष में आयोजित नहीं की जायेगी।

**25. आवेदन का प्ररूप.-** आवेदन आयोग/बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्ररूप में किया जायेगा और वह आयोग के सचिव/बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय से ऐसी फीस, यदि कोई हो, का संदाय करके, जो आयोग/बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर नियत की जाये, प्राप्त किया जा सकेगा।

**26. आवेदन फीस.-** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी आयोग/ बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर नियत फीस का, ऐसी रीति से, जो वह उपदर्शित करे, संदाय करेगा।

**27. आवेदनों की संवीक्षा.-** आयोग/बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी उसके द्वारा प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए अर्हित इतने अभ्यर्थियों से, जितने वह वांछनीय समझे, लिखित परीक्षा/साक्षात्कार या, यथास्थिति, दोनों में उपस्थित होने की अपेक्षा करेगा:

परन्तु किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के बारे में आयोग/बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

**28. सिफारिशें.-** आयोग/बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों की, जिन्हें वे वह संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे, योग्यताक्रम में उनके नामों की एक सूची तैयार करेगें/करेगा और उसे सरकार या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगें/करेगा:

परन्तु आयोग, बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत की सीमा तक, उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम भी प्रवर्गवार आरक्षित सूची में रख सकेगा। अध्यपेक्षा किये जाने पर आयोग/बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों के नामों की योग्यताक्रम में सिफारिश, उस तारीख से, जिसको मूल सूची आयोग/बोर्ड द्वारा सरकार/या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित की जाती है, छह मास के भीतर-भीतर सरकार/ नियुक्ति प्राधिकारी को की जा सकेगी।

**29. नियुक्ति के लिए निरर्हताएं.-**(1) कोई अभ्यर्थी, जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियों/पति हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी सिवाय उस दशा के जब सरकार यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए वैयक्तिक विधि के अधीन विशेष आधार हैं, किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट न दे दे।

(2) कोई भी अभ्यर्थी, जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पहले से कोई जीवित पत्नी/पति है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी/होगा सिवाय उस दशा के जब सरकार से परामर्श नियुक्ति प्राधिकारी अपना समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट न दे दे।

(3) कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी यदि उसने अपने विवाह के समय या उसके पश्चात् किसी भी समय कोई दहेज स्वीकार किया था।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए 'दहेज' का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 28) में दिया गया है।

(4) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु,-

- (i) दो से अधिक संतानों वाला व्यक्ति तब तक नियुक्ति के लिए निरहित नहीं समझा जायेगा जब तक उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है;
- (ii) जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा;
- (iii) इस उप-नियम के उपबंध राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के उपबंधों के अधीन किसी विधवा को दी जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे;
- (iv) किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और दिव्यांगता से ग्रस्त हो;
- (v) ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरहित नहीं है तो उसे निरहित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।

**30. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन.-** नियुक्ति प्राधिकारी, नियम 8,9,10,11 और 12 के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए, नियम 28 के अधीन तैयार की गयी सूची में से अभ्यर्थियों का चयन करेगा:

परन्तु किसी अभ्यर्थी का नाम सूची में सम्मिलित हो जाने मात्र से ही उसे नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि ऐसा अभ्यर्थी संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए अन्य सभी प्रकार से उपयुक्त है।

## भाग 5

### पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

**31. विभागीय पदोन्नति समिति का गठन.-** समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा:

**(क) आयोग के कार्यक्षेत्र में आने वाले पद (पदों) के लिए:**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य।  | अध्यक्ष    |
| 2. प्रभारी शासन सचिव, प्रशासनिक विभाग या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव के रैंक से नीचे का न हो। | सदस्य      |
| 3. प्रभारी शासन सचिव, कार्मिक विभाग या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव के रैंक से नीचे का न हो।   | सदस्य      |
| 4. निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान  | सदस्य-सचिव |

**(ख) आयोग के कार्यक्षेत्र में न आने वाले पद (पदों) के लिए:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान   | अध्यक्ष    |
| 2. संयुक्त शासन सचिव/शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग  | सदस्य      |
| 3. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान के प्रभारी शासन सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य | सदस्य      |
| 4. संयुक्त-निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान                                   | सदस्य-सचिव |

परन्तु यदि समिति के गठन में सम्मिलित कोई सदस्य या, यथास्थिति, सदस्य-सचिव संबंधित पद पर नियुक्त नहीं किया गया है तो उस पद का तत्समय प्रभार धारण करने वाला अधिकारी समिति का सदस्य या, यथास्थिति, सदस्य-सचिव होगा।

**32. पदोन्नति के लिए मानदंड पात्रता और प्रक्रिया.-** (1) ज्योंही नियुक्ति प्राधिकारी इन नियमों के नियम 15 के अधीन रिक्तियों की संख्या अवधारित करे और यह विनिश्चय करे कि कतिपय संख्या में पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने अपेक्षित हैं त्योंही वह उप-नियम (6) के उपबन्धों के अध्यक्षीन रहते हुए, ऐसे वरिष्ठतम व्यक्तियों की सही एवं पूर्ण सूची तैयार करेगा, जो संबंधित पद के वर्ग की वरिष्ठता-एवं-योग्यता या योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिए इन नियमों के अधीन पात्र और अर्हित हैं।

(2) अनुसूची-I और, यथास्थिति अनुसूची-II के स्तंभ संख्यांक 6 में प्रगणित व्यक्ति चयन वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन को उनके द्वारा पदोन्नति के लिए स्तम्भ संख्यांक 7 में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हता और अनुभव रखने के अध्यक्षीन रहते हुए स्तम्भ संख्यांक 4 में उपदर्शित सीमा तक उसके स्तम्भ संख्यांक 2 में उनके सामने विनिर्दिष्ट पद (पदों) पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

(3) सेवा में प्रथम पदोन्नति के लिए तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि वह उस पद पर, जिससे पदोन्नति की जानी हो, इन नियमों के उपबन्धों के अधीन विहित भर्ती की किसी एक रीति के अनुसार नियमित रूप से चयनित न हुआ/हुई हो।

**स्पष्टीकरण:** यदि किसी वर्ष-विशेष में किसी पद (पदों) पर पदोन्नति द्वारा नियमित चयन के पूर्व सीधी भर्ती कर ली गयी हो तो ऐसे व्यक्तियों की पदोन्नति के लिए भी विचार किया जायेगा जो भर्ती की दोनों रीतियों से उस पद पर



नियुक्ति के लिए पात्र हैं या थे और जो पहले सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये हैं।

(4) ऐसे किसी भी व्यक्ति की पदोन्नति पर उस तारीख, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, तीन भर्ती वर्षों तक विचार नहीं किया जायेगा, यदि उसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों:

परन्तु,-

- (i) दो से अधिक संतानों वाला व्यक्ति पदोन्नति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जायेगा जब तक कि उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को थी, बढ़ोतरी नहीं होती है।
- (ii) जहां किसी व्यक्ति के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है, किन्तु पश्चात्तर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।
- (iii) किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई और दिव्यांगता से ग्रस्त हो।
- (iv) ऐसा कोई व्यक्ति जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरहित नहीं है तो उसे निरहित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।

(5) सेवा में सम्मिलित पद (पदों) पर पदोन्नति के लिए चयन वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर किया जायेगा:

परन्तु सेवा में के उच्चतम पद पर पदोन्नति, यदि यह कम से कम तीसरी पदोन्नति है, केवल योग्यता के आधार पर की जायेगी:

परन्तु यह और कि यदि समिति का यह समाधान हो जाता है कि किसी वर्ष-विशेष में सर्वथा योग्यता के आधार पर उच्चतम पद (पदों) पर पदोन्नति द्वारा चयन के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं तो उच्चतम पद (पदों) पर वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा चयन उसी रीति से किया जा सकेगा जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट है।

(6) (i) पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों के संबंध में विचार की संख्या-सीमा निम्नलिखित होगी:-

**रिक्तियों की संख्या**

**विचार किये जाने वाले पात्र व्यक्तियों की संख्या**

(क) एक रिक्ति के लिए

- पांच पात्र व्यक्ति

(ख) दो रिक्तियों के लिए

- आठ पात्र व्यक्ति

(ग) तीन रिक्तियों के लिए

- दस पात्र व्यक्ति

(घ) चार या अधिक रिक्तियों के लिए

- रिक्तियों की संख्या के तीन गुना के बराबर पात्र व्यक्ति।

- (ii) जहां उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों की संख्या ऊपर विनिर्दिष्ट संख्या से कम हो वहां इस प्रकार पात्र समस्त व्यक्तियों के बारे में विचार किया जायेगा।

- (iii) जहां अनुसूचित जाति या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में ऊपर विनिर्दिष्ट विचार की संख्या-सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं हों वहां विचार की संख्या-सीमा रिक्तियों की संख्या के सात गुने तक बढ़ायी जा सकेगी और इस प्रकार बढ़ायी गयी विचार की संख्या-सीमा के भीतर आने वाले अनुसूचित जाति या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजाति (कोई अन्य नहीं) के अभ्यर्थियों के बारे में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति भी विचार किया जायेगा।
- (iv) इन नियमों से संलग्न अनुसूचियों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सेवा में के किसी पद के लिए,-
- (क) यदि पदोन्नति पे मैट्रिक्स में समान लेवल में एक से अधिक पद-प्रवर्गों में से हो तो पदोन्नति के लिए पे मैट्रिक्स में समान लेवल में के पदों के प्रत्येक प्रवर्ग से संख्या में दो तक पात्र व्यक्तियों पर विचार किया जायेगा;
- (ख) यदि पदोन्नति पे मैट्रिक्स में भिन्न-भिन्न लेवल वाले एक से अधिक पद-प्रवर्गों से होनी हो तो पदोन्नति के लिए पहले पे मैट्रिक्स के उच्चतर लेवल में के पात्र व्यक्तियों पर विचार किया जायेगा और यदि पे मैट्रिक्स के उच्चतर लेवल में योग्यता या, यथास्थिति, वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो केवल तब ही पे मैट्रिक्स में निम्नतर लेवल में के अन्य पद-प्रवर्गों के पात्र व्यक्तियों की पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा और यह क्रम इसी प्रकार चलता रहेगा। इस मामले में पात्रता के लिए विचार की संख्या-सीमा कुल मिलाकर पाँच वरिष्ठतम पात्र व्यक्तियों तक ही सीमित रहेगी।

(7) इस नियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें, समिति का गठन और चयन के लिए प्रक्रिया वही होगी जो इन नियमों में अन्यत्र विहित है।

(8) समिति, ऐसे समस्त वरिष्ठतम व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जो इन नियमों के अधीन संबंधित पद (पदों) के वर्ग में पदोन्नति के लिए पात्र और अर्हित हैं और इन नियमों में अधिकथित पदोन्नति की कसौटी के अनुसार वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर उपयुक्त पाये गये व्यक्तियों के नाम अन्तर्विष्ट करते हुए इन नियमों के अधीन अवधारित रिक्तियों की संख्या के बराबर नामों की एक सूची तैयार करेगी। वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर और/या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर इस प्रकार तैयार की गयी सूची पद (पदों) के उस प्रवर्ग के वरिष्ठता क्रम में रखी जायेगी जिससे चयन किया गया है।

(9) समिति, इन नियमों में अधिकथित पदोन्नति की कसौटी के अनुसार, वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर या योग्यता के आधार पर भी एक पृथक् सूची तैयार करेगी जिसमें अस्थायी या स्थायी रिक्तियों को, जो बाद में हों, भरने के लिए उपर्युक्त उप-नियम (8) के अधीन तैयार की गयी सूची में चयनित व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के नाम अंतर्विष्ट होंगे। वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर इस प्रकार तैयार की गयी सूची पदों के उस प्रवर्ग में, जिसमें से चयन किया जाये, वरिष्ठता क्रम में रखी जायेगी। ऐसी सूची को ऐसी समिति द्वारा पुनर्विलोकित और पुनरीक्षित किया जायेगा जिसकी बैठक पश्चात्पूर्वी वर्ष में हो और ऐसी सूची, ऐसे वर्ष के अंतिम दिन तक जिसके लिए विभागीय समिति की बैठक की जाये प्रवृत्त रहेगी।

(10) उप-नियम (8) और (9) के अधीन तैयार की गयी सूचियां, उनमें सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के और ऐसे अन्य अभ्यर्थियों के, जिनका चयन नहीं किया गया हो, यदि कोई हों, के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों/ वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों और अन्य सेवा अभिलेखों के साथ, नियुक्ति प्राधिकारी को भेजी जायेगी;

**स्पष्टीकरण:** योग्यता के आधार पर पदोन्नति हेतु चयन के प्रयोजन के लिए किसी भी व्यक्ति का चयन नहीं किया जायेगा यदि उसका उस वर्ष से, जिसके लिए समिति की बैठक आयोजित की जाये, पूर्ववर्ती सात वर्षों में से कम से कम चार वर्ष का अभिलेख "उत्कृष्ट" या "बहुत अच्छा" न हो।

(11) इन नियमों के प्रख्यापन के पश्चात्, यदि किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में, किसी पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित रिक्तियां, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित था, इन नियमों के अधीन अवधारित की जाती हैं तो समिति उस वर्ष, जिस वर्ष समिति की बैठक आयोजित की जाती है, का विचार किये बिना ऐसे समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जो उस वर्ष में, जिससे रिक्तियां संबंधित हैं, पात्र होते और ऐसी पदोन्नतियां उस वर्ष-विशेष में, जिससे ऐसी रिक्तियां संबंधित हैं, पदोन्नति के लिए लागू कसौटी और प्रक्रिया द्वारा विनियमित होंगी और इस प्रकार पदोन्नत किये गये किसी पदधारी की ऐसी कालावधि की सेवा/अनुभव को, जिसके दौरान उसने ऐसे पद के कर्तव्यों का वास्तव में पालन नहीं किया है, जिस पर उसे पदोन्नत किया गया होता, उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए गिना जायेगा। इस प्रकार पदोन्नत किये गये व्यक्ति का वेतन ऐसे वेतन पर पुनर्निधारित किया जायेगा जो वह अपनी पदोन्नति के समय प्राप्त कर रहा होता किन्तु वेतन का कोई भी बकाया उसे अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(12) सरकार या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी, अभिलेख को देखने से ही प्रकट किसी भूल या गलती के कारण या समिति के विनिश्चय को सारवान् रूप से प्रभावित करने वाली किसी तथ्यात्मक गलती के कारण या किन्हीं भी अन्य पर्याप्त कारणों से उदाहरणार्थ वरिष्ठता में परिवर्तन, रिक्तियों का गलत अवधारण, किसी भी न्यायालय या अधिकरण का निर्णय/निदेश या जहां किसी व्यक्ति के गोपनीय प्रतिवेदन में की प्रतिकूल प्रविष्टियों को निकाल दिया गया है या उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है, या उसे दिया गया दण्ड अपास्त या कम कर दिया गया है, पूर्व में हुई समिति की कार्यवाहियों के पुनर्विलोकन के लिए आदेश दे सकेगा। पुनर्विलोकन समिति की बैठक आयोजित किये जाने के पूर्व कार्मिक विभाग की और आयोग/बोर्ड (जहां आयोग/बोर्ड सहबद्ध हो) की सहमति सदैव प्राप्त की जायेगी।

(13) जहां आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो वहां समिति द्वारा तैयार की गयी सूचियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके नामों पर समिति द्वारा विचार किया गया है, वैयक्तिक पत्रावलियों और वार्षिक गोपनीय पंजियों/वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों सहित, आयोग को अग्रेषित की जायेगी।

(14) आयोग/बोर्ड, समिति द्वारा तैयार की गयी सूचियों, साथ ही नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त अन्य सुसंगत दस्तावेजों पर विचार करेगा और जब तक उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना आवश्यक न समझा जाये, सूचियों का अनुमोदन करेगा। यदि आयोग नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त सूचियों में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह अपने द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देगा। आयोग की टिप्पणियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् नियुक्ति

प्राधिकारी उन सूचियों का ऐसे उपान्तरणों सहित, जो उसकी राय में न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हों, अंतिम रूप से अनुमोदन कर सकेगा और जब नियुक्ति प्राधिकारी सरकार का कोई अधीनस्थ प्राधिकारी हो तो आयोग द्वारा अनुमोदित सूचियों में हेरफेर सरकार के अनुमोदन से ही किया जायेगा।

(15) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्तियां पूर्ववर्ती उप-नियम (14) के अधीन अंतिम रूप से अनुमोदित सूचियों में सम्मिलित किये गये व्यक्तियों में से उसी क्रम में की जायेंगी जिस क्रम में उनके नाम सूचियों में रखे गये हैं, जब तक कि ऐसी सूचियां निःशेष या पुनर्विलोकित और पुनरीक्षित न हो जायें या, यथास्थिति, प्रवृत्त न रह जायें।

(16) सरकार, ऐसे व्यक्तियों की पदोन्नतियों, नियुक्तियों या अन्य आनुषंगिक मामलों में साम्यापूर्ण और उचित रीति से अनंतिम तौर पर संव्यवहार करने के लिए अनुदेश जारी कर सकेगी जो उस समय निलम्बनाधीन हों या जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही हो, जब किसी ऐसे पद पर की पदोन्नति पर विचार किया जाये जिसके लिए वे पात्र हैं या ऐसे निलंबन या ऐसी जांच या कार्यवाही के लम्बित रहने के सिवाय पात्र होते।

(17) इन नियमों के किसी भी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस नियम के उपबंध प्रभावी होंगे।

**33. पदोन्नतियां छोड़ देने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति पर निर्बंधन.-** यदि कोई व्यक्ति अगले उच्चतर पद पर अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति के आधार पर या समिति की सिफारिश पर नियमित आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त होने पर अपने लिखित अनुरोध द्वारा ऐसी नियुक्ति छोड़ देता है, और यदि संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी उसके अनुरोध को स्वीकार कर लेता है तो संबंधित व्यक्ति को, पश्चात्पूर्वी दो भर्ती वर्षों के लिए, जिनके लिए समिति की बैठक होती है, पदोन्नति हेतु (अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति के आधार पर या नियमित आधार पर दोनों ही मामलों में) विचार करने के लिए विवर्जित किया जायेगा और ऐसे व्यक्ति का नाम, जो पदोन्नति छोड़ देता है, पश्चात्पूर्वी दो भर्ती वर्षों की विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष रखी जाने वाली वरिष्ठता एवं पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

## भाग-6

### नियुक्ति, परिवीक्षा और स्थायीकरण

**34. सेवा में नियुक्ति.-** सेवा में के पद (पदों) पर नियत पारिश्रमिक पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में सीधी भर्ती या, यथास्थिति, पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, अधिष्ठायी रिक्तियां होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इन नियमों के नियम 28 के अधीन चयनित अभ्यर्थियों में से योग्यताक्रम में और नियम 32 के अधीन चयनित व्यक्तियों में से पदोन्नति द्वारा की जायेगी।

**35. अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति.-** (1) सेवा में की ऐसी रिक्ति को, जिसे इन नियमों के अधीन सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा तुरन्त नहीं भरा जा सकता हो, उसे सरकार या, यथास्थिति, नियुक्तियां करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पद पर किसी ऐसे व्यक्ति की, जो उस पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का पात्र हो, स्थानापन्न हैसियत में नियुक्ति करके या ऐसे किसी व्यक्ति को, जो सेवा में सीधी भर्ती के लिए पात्र हो, जब ऐसी सीधी भर्ती इन नियमों के उपबंधों के अधीन उपबंधित हो, अस्थायी रूप से नियुक्त करके, भरा जा सकेगा:

परन्तु,-

- (i) ऐसी कोई नियुक्ति आयोग को उसकी सहमति के लिए, जहां ऐसी सहमति आवश्यक हो, निर्दिष्ट किये बिना एक वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए चालू नहीं रखी जायेगी और आयोग द्वारा सहमति देने से इनकार करने पर तुरन्त समाप्त कर दी जायेगी:
- (ii) सेवा या सेवा में के ऐसे किसी पद के संबंध में, जिसके लिए भर्ती की दोनों रीतियां विहित हों, सरकार या, यथास्थिति, नियुक्ति करने के लिए सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी, राज्य सेवा के मामले में सरकार के कार्मिक विभाग और अन्य सेवाओं के संबंध में संबंधित प्रशासनिक विभाग की विनिर्दिष्ट अनुमति के बिना, सीधी भर्ती के कोटे की किसी अस्थायी रिक्ति को पूर्णकालिक नियुक्ति द्वारा, उस स्थिति के सिवाय जबकि ऐसी अस्थायी रिक्ति अल्पकालिक विज्ञापन के पश्चात् तथा सीधी भर्ती के लिए पात्र व्यक्तियों में से भरी जाये, तीन मास से अधिक की कालावधि के लिए नहीं भरेगा।

(2) पदोन्नति के लिए पात्रता की अपेक्षाएं पूरी करने वाले उपयुक्त व्यक्तियों के उपलब्ध न होने की दशा में, सरकार उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन पदोन्नति के लिए अपेक्षित पात्रता की शर्तें होने पर भी, वेतन और अन्य भत्तों के बारे में ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो वह निर्दिष्ट करे, अर्जेंट अस्थायी आधार पर रिक्तियां भरने की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए सामान्य अनुदेश अधिकथित कर सकेगी। तथापि, ऐसी नियुक्तियां, उक्त उप-नियम के अधीन यथा-अपेक्षित, आयोग की सहमति के अध्यक्षीन होंगी।

**36. वरिष्ठता.-** सेवा में के संवर्ग में सम्मिलित पद पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् पद पर नियुक्ति की तारीख से अवधारित की जायेगी। तदर्थ या अर्जेंट अस्थायी आधार पर नियुक्ति, नियमित चयन के पश्चात् की नियुक्ति नहीं समझी जायेगी:

परन्तु,-

- (i) किसी प्रवर्ग-विशेष में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा एक ही चयन के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता, ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर जिनसे पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया हो किन्तु जिन्होंने आदेश जारी होने की तारीख से छह सप्ताह की कालावधि के भीतर या दीर्घतर कालावधि, यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बढ़ायी जाये, सेवाग्रहण न की हो, उसी क्रम में रहेगी, जिस क्रम में उनके नाम इन नियमों के नियम 28 के अधीन तैयार की गयी सूची में रखे गये हैं।
- (ii) यदि दो या अधिक व्यक्ति उसी वर्ष के दौरान सेवा में नियुक्त किये जाते हैं तो पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति से रैंक में वरिष्ठ होगा ।
- (iii) ऐसे चयन के, जो पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण के अध्यक्षीन न हो, परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त व्यक्ति, उन व्यक्तियों से रैंक में वरिष्ठ होंगे जो पश्चात्पूर्वी चयन के परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त किये जाते हैं ।

- (iv) एक ही चयन में वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर और योग्यता के आधार पर चयनित व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता वही होगी जो उनकी ठीक निम्नतर लेवल में है।
- (v) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए पारिणामिक वरिष्ठता के साथ आरक्षण, रोस्टर बिन्दुओं के निःशेष होने और पदोन्नति की पर्याप्तता होने तक जारी रहेगा। एक बार रोस्टर बिन्दुओं के पूर्ण होने पर, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए चिह्नित रिक्तियां जब कभी भी हों, पदोन्नति में इसके पश्चात् प्रतिस्थापन के सिद्धान्त का प्रयोग किया जायेगा।

**स्पष्टीकरण:** “पर्याप्त प्रतिनिधित्व”से रोस्टर बिन्दू के अनुसार अनुसूचित जातियों का 16 प्रतिशत प्रतिनिधित्व और अनुसूचित जनजातियों का 12 प्रतिशत प्रतिनिधित्व अभिप्रेत है।

**37. परिवीक्षा की कालावधि.-** (1) किसी स्पष्ट रिक्ति के प्रति सीधी भर्ती द्वारा सेवा में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप में रखा जायेगा:

परन्तु ऐसी नियुक्ति के पश्चात् की वह कालावधि, जिसमें किसी व्यक्ति को तत्समान या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर रखा गया हो, परिवीक्षाकाल में गिनी जायेगी।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट परिवीक्षा की कालावधि के दौरान प्रत्येक परिवीक्षाधीन- प्रशिक्षणार्थी से ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने और ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की, जो सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, अपेक्षा की जा सकेगी।

**38. कतिपय मामलों में स्थायीकरण.-** (1) पूर्ववर्ती नियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सेवा में किसी पद पर अस्थायी तौर पर या स्थानापन्न आधार पर नियुक्त हुए किसी व्यक्ति को, जिसे इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की रीतियों में से किसी एक रीति द्वारा हुई नियमित भर्ती के पश्चात्, उसके सीधी भर्ती द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त होने की दशा में दो वर्ष की सेवा के परिवीक्षाकाल के संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने पर छह मास की कालावधि के भीतर या पदोन्नति द्वारा नियुक्त होने की दशा में एक वर्ष की सेवा की कालावधि के भीतर स्थायी नहीं किया गया हो तो वह अपनी वरिष्ठता के अनुसार स्थायी माने जाने का हकदार होगा/होगी यदि,-

- (i) उसने एक ही नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन उस पद पर या उच्चतर पद पर कार्य किया हो या इस प्रकार कार्य करता यदि वह प्रतिनियुक्ति या प्रशिक्षण पर नहीं होता/होती;
- (ii) वह इन नियमों के अधीन विहित कोटा के अध्यधीन रहते हुए, स्थायीकरण से संबंधित नियम के अधीन विहित शर्तें पूरी करता/करती हो; और
- (iii) विभाग में स्थायी रिक्ति उपलब्ध हो।

(2) उपर्युक्त उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कोई कर्मचारी यदि उक्त उप-नियम में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो उपर्युक्त उक्त उप-नियम (1) में उल्लिखित कालावधि को राजस्थान सिविल सेवा (विभागीय परीक्षा) नियम, 1959 और अन्य किन्हीं नियमों के अधीन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के लिए यथाविहित कालावधि तक या एक वर्ष तक, जो भी अधिक हो,

बढ़ाया जा सकेगा। यदि वह कर्मचारी फिर भी उपर्युक्त उप-नियम (1) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो वह ऐसे पद से उसी रीति से सेवोन्मुक्त किये या हटाये जाने का दायी होगा जिस रीति से किसी परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को सेवोन्मुक्त किया या हटाया जाता है या वह उस अधिष्ठायी या निम्नतर पद पर, यदि कोई हो, जिसके लिए वह हकदार हो, पदावनत किये जाने का दायी होगा।

(3) उपर्युक्त उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कर्मचारी को उक्त सेवाकाल के पश्चात् स्थायीकरण से विवर्जित नहीं किया जायेगा यदि उसके द्वारा समाधानप्रद रूप से कार्य करने के प्रतिकूल कोई कारण उसे उक्त सेवा अवधि के दौरान संसूचित न किया गया हो।

(4) उपर्युक्त उप-नियम (1) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी को स्थायी न करने के कारणों को नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवा पुस्तिका और वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में अभिलिखित करेगा।

**स्पष्टीकरण:** (i) इस नियम के प्रयोजन के लिए नियमित भर्ती से अभिप्रेत है-

- (क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार भर्ती की किसी भी रीति द्वारा या सेवा के प्रारम्भिक गठन के समय की गयी नियुक्ति;
- (ख) उस पद पर नियुक्ति, जिसके लिए कोई सेवा नियम विद्यमान न हो, यदि पद आयोग के अधिकार क्षेत्र के भीतर हो तो आयोग के परामर्श से भर्ती;
- (ग) नियमित भर्ती के पश्चात् स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति, जहां सेवा नियम इसके लिए विनिर्दिष्ट रूप से अनुज्ञात करते हैं;
- (घ) ऐसे व्यक्ति, जिन्हें इन नियमों के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी नियुक्ति के लिए पात्र बनाया गया हो, नियमित रूप से भर्ती किये हुए समझे जायेंगे:

परन्तु इसमें ऐसी अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति या स्थानापन्न पदोन्नति सम्मिलित नहीं होगी जो पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण के अधीन हो।

- (ii) किसी अन्य संवर्ग में धारणाधिकार रखने वाले व्यक्ति इस नियम के अधीन स्थायीकरण किये जाने के पात्र होंगे और वे इस विकल्प का प्रयोग करने के भी पात्र होंगे कि वे अपनी अस्थायी नियुक्ति के दो वर्ष समाप्त होने पर इस नियम के अधीन स्थायीकरण नहीं चाहते। इसके प्रतिकूल कोई भी विकल्प प्राप्त न होने पर यह समझा जायेगा कि उन्होंने इस नियम के अधीन स्थायीकरण के पक्ष में अपना विकल्प दे दिया है और पूर्व पद पर उनका धारणाधिकार समाप्त हो जायेगा।

**39. परिवीक्षाकाल के दौरान असंतोषप्रद प्रगति.-** यदि नियुक्ति प्राधिकारी को परिवीक्षाकाल के दौरान या उसकी समाप्ति पर, किसी भी समय, यह प्रतीत हो कि किसी परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी की सेवाएं संतोषप्रद नहीं पायी गयी हैं तो नियुक्ति प्राधिकारी उसे, उस पद पर पदावनत कर सकेगा जिस पर उसका, परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप से उसकी नियुक्ति के ठीक पूर्व, नियमित रूप से चयन

किया गया हो या अन्य मामलों में उसे सेवोन्मुक्त कर सकेगा या उसकी सेवा समाप्त कर सकेगा। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी को समुचित अवसर प्रदान करेगा:

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी मामले में या मामलों के किसी वर्ग में, यदि उचित समझे तो किसी परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के परिवीक्षाकाल को एक वर्ष से अनधिक की विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा।

**40. स्थायीकरण.-** कोई व्यक्ति, जिसे नियम 37 के अधीन परिवीक्षा पर रखा गया है, परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि,-

- (क) उसने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और ऐसा प्रशिक्षण, सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो जैसा कि सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे;
- (ख) उसने हिन्दी में प्रवीणता संबंधी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो; और
- (ग) सरकार/नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि उसकी सत्यनिष्ठा शंकास्पद नहीं है और यह कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

#### भाग-7

#### वेतन

**41. वेतनमान.-** सेवा में के किसी पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति का पे मैट्रिक्स के लेवल में वेतन वह होगा जो नियम 43 में निर्दिष्ट नियमों के अधीन अनुज्ञेय हो या जो सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किया जाये।

**42. परिवीक्षा के दौरान वेतन.-** सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त किसी परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी को, परिवीक्षाकाल के दौरान ऐसी दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किया जाये:

परन्तु सरकारी सेवा में भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित रूप से चयनित किसी कर्मचारी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 24 के उपबंधों के अनुसार परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप में सेवा के दौरान पद के पे मैट्रिक्स में विद्यमान लेवल में उसके स्वयं के पे मैट्रिक्स में परिलब्धियां या नये पद का नियत पारिश्रमिक अनुज्ञात किया जा सकेगा।

**43. वेतन, छुट्टी, भत्ते, पेंशन, अंशदायी पेंशन आदि का विनियमन.-** इन नियमों में यथा-उपबंधित के सिवाय, सेवा के किसी सदस्य का वेतन, भत्तों, पेंशन, अंशदायी पेंशन, छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तें निम्नलिखित द्वारा विनियमित होंगी:-

- (i) राजस्थान सेवा नियम, 1951, समय-समय पर यथा-संशोधित;
- (ii) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958, समय-समय पर यथा-संशोधित;
- (iii) राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971, समय-समय पर यथा-संशोधित;
- (iv) राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971, समय-समय पर यथा-संशोधित;
- (v) राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996, समय-समय पर यथा-संशोधित;
- (vi) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1998, समय-समय पर यथा-संशोधित;



- (vi) राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005, समय-समय पर यथा-संशोधित;
- (viii) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008, समय-समय पर यथा-संशोधित;
- (ix) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017, समय-समय पर यथा-संशोधित; और
- (x) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाये गये और तत्समय प्रवृत्त कोई भी अन्य नियम जो सेवा की सामान्य शर्तें विहित करते हों।

**44. नियमों के शिथिलीकरण की शक्ति.-** अपवाद सापेक्ष मामलों में जहां सरकार के प्रशासनिक विभाग का यह समाधान हो जाये कि भर्ती के लिए आयु के बारे में या अनुभव की आवश्यकता के संबंध में किसी विशिष्ट मामले में नियमों के प्रवर्तन से अनावश्यक कठिनाई होती है या जहां सरकार की यह राय हो कि किसी व्यक्ति की आयु या अनुभव के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह कार्मिक विभाग की सहमति तथा आयोग के परामर्श से, जहां आवश्यक हो, आदेश प्रसारित करके इन नियमों के सुसंगत उपबंधों से, ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्याधीन रहते हुए, जो किसी मामले को न्यायोचित एवं साम्यापूर्ण रीति से निपटाने के लिए आवश्यक माने जायें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकेगी:

परन्तु,-

- (i) ऐसा शिथिलीकरण इन नियमों में पूर्व में अन्तर्विष्ट उपबंधों से कम अनुकूल नहीं होगा। शिथिलीकरण के ऐसे मामले, जहां आवश्यक हो, प्रशासनिक विभाग द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किये जायेंगे:
- (ii) इस नियम के अधीन विहित सेवा की कालावधि या अनुभव में शिथिलीकरण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के पूर्व किसी पद पर पदोन्नति के लिए विहित सेवा या अनुभव की केवल एक तिहाई कालावधि की सीमा तक ही मंजूर किया जायेगा:
- (iii) जहां किसी पद पर पदोन्नति के लिए अनुभव की विहित कालावधि 6 वर्ष से कम है वहां प्रमुख सचिव, वित्त, प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग और प्रमुख सचिव/सचिव, प्रशासनिक विभाग से गठित मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति उन मामलों पर विचार करेगी जहां 45 प्रतिशत या उससे अधिक पद रिक्त हैं। समिति अनुभव में शिथिलीकरण की इतनी मात्रा सुझाने के लिए सशक्त होगी जो ऐसे मामलों में, पदोन्नति वाले पदों में रिक्तियों की बड़ी संख्या के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए, इस शर्त के अध्याधीन प्रदान की जायेगी कि अनुभव में ऐसा शिथिलीकरण दो वर्ष से अधिक न हो।

**45. शंकाओं का निराकरण.-** यदि इन नियमों के लागू होने और उनकी व्याप्ति के बारे में कोई शंका उत्पन्न हो तो मामला सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

**46. निरसन और व्यावृत्ति.-** राजस्थान सिविल सेवा (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में परियोजना निदेशक, परियोजना अधिकारियों और अनुसंधान अधिकारियों का विशेष चयन और सेवा

की विशेष शर्तों) नियम, 1986 और राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तों) नियम, 2001 से संलग्न अनुसूची के शीर्ष विज्ञान एवं तकनीकी विभाग अनुभाग के अधीन समस्त पद और उनकी प्रविष्टियों और इन नियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में जारी तथा इन नियमों के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम और आदेश इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों और आदेशों के अधीन की गयी कोई भी कार्रवाई इन नियमों के उपबंधों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

### अनुसूची-I

#### राज्य सेवा पद

क्र.स.	पद का नाम	प्रतिशत सहित भर्ती की रीति		सीधी भर्ती के लिये न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव	अभ्युक्तियां
		सीधी	पदोन्नति				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	संयुक्त निदेशक	-	100 प्रतिशत	-	उप निदेशक	स्तंभ 6 में उल्लिखित पद पर तीन वर्ष का अनुभव	-
2.	उप निदेशक	-	100 प्रतिशत	-	सहायक निदेशक	स्तंभ 6 में उल्लिखित पद पर तीन वर्ष का अनुभव	-
3.	सहायक निदेशक	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	1- प्राकृतिक विज्ञान या कृषि विज्ञान में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री या अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रिमोट सेन्सिंग और जी.आई.एस. में प्रथम श्रेणी में एम.एससी./एम.टेक (विज्ञान/अभियां	1- कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2- कनिष्ठ अभियंता 3- संग्रहालयाध्यक्ष	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक/कनिष्ठ अभियंता के पदपर दस वर्ष का अनुभव या संग्रहालयाध्यक्ष के पद पर तीन वर्ष का अनुभव	-

				त्रिकी में स्नातक डिग्री के साथ) और 2- अनुसंधान और विकास/औद्योगिक/ शैक्षणिक संस्थानों/विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन में दो वर्ष का विशेष अनुभव			
--	--	--	--	--	--	--	--

## अनुसूची-II

## अधीनस्थ सेवा पद

क्र.स.	पद का नाम	प्रतिशत सहित भर्ती की रीति		सीधी भर्ती के लिये न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव	अभ्युक्तियां
		सीधी	पदोन्नति				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>विज्ञान केन्द्र/विज्ञान पार्क और संग्रहालय विंग</b>							
1.	संग्रहालयाध्यक्ष	-	100 प्रतिशत	-	सहायक संग्रहालयाध्यक्ष	स्तंभ 6 में उल्लिखित पद पर आठ वर्ष का अनुभव	-
2.	सहायक संग्रहालयाध्यक्ष	100 प्रतिशत	-	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में बी.एससी. या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड का प्रथम श्रेणी में सिविल/यांत्रिकी/विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक्स/अभियान्त्रिकीमें डिप्लोमा या संग्रहालय अध्ययन में डिग्री/ डिप्लोमा 2. विज्ञान संग्रहालय, विज्ञान पार्क या विज्ञान केन्द्र के क्षेत्र	-	-	-

				में दो वर्ष का अनुभव			
3.	शिक्षा सहायक	100 प्रतिशत	-	भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान, गणित या जीव विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान में स्नातक के साथ किसी विद्यालय में विज्ञान अध्यापन का या किसी प्रतिष्ठित संस्था में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने वाले क्रियाकलापों में सम्मिलित होने का एक वर्ष का अनुभव।	-	-	-
4.	तकनीशियन	100 प्रतिशत	-	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी 2. ट्रेड में दो वर्ष की अवधि का आई.टी.आई. प्रमाणपत्र और प्रामणपत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात् एक वर्ष का अनुभव। या इलेक्ट्रीशियन/मोटर वाइंडिंग/हाउस वायरिंग में प्रमाणपत्र और ट्रेड में तीन वर्ष का अनुभव।	-	-	-
<b>तकनीकी विंग</b>							
1.	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	100 प्रतिशत	-	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी.एससी. या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सिविल/यांत्रिकी/विद्यु त/इलेक्ट्रॉनिक्स/अभि यांत्रिकी में प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा 2. विज्ञान एवं	-	-	-

				तकनीकी क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव			
2-	कनिष्ठ अभियंता	100 प्रतिशत	-	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सिविल/अभियांत्रिकी/विद्युत/कृषि अभियांत्रिकी में प्रथम श्रेणी में डिग्री/डिप्लोमा	-	-	-
3-	पर्यवेक्षक	100 प्रतिशत	-	-	-	-	कोई अतिरिक्त भर्ती नहीं की जायेगी और जब कभी पद खाली हो जायेगा पद को समाप्त समझा जायेगा
4-	अभिलेखपाल	100 प्रतिशत	-	स्नातक साथ ही किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र या स्नातक साथ ही इंडियन फोटो इंटरप्रिटेशन इंस्टिट्यूशन, देहरादून से फोटोग्राफी के अल्पकालिक कोर्स ('ओ' और 'पी')	-	-	-
<b>चित्रकला विंग</b>							
1-	वरिष्ठ	-	100	-	कनिष्ठ	स्तंभ 6 में	-

	नक्शानवीस		प्रतिशत		नक्शानवीस	उल्लिखित पद पर पांच वर्ष का अनुभव	
2-	कनिष्ठ नक्शानवीस	-	100 प्रतिशत	-	अनुरेखक	स्तंभ 6 में उल्लिखित पद पर पांच वर्ष का अनुभव	-
3-	अनुरेखक	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से नक्शानवीस प्रमाणपत्र (सिविल) या ट्रेड में आई.टी.आई. प्रमाणपत्र	फेरोमेन	मान्यता बोर्ड से चित्रकला के साथ सैकण्डरी साथ ही स्तंभ 6 में उल्लिखित पद पर पांच वर्ष के अनुभव	-
4-	फेरोमेन	100 प्रतिशत	-	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से चित्रकला के साथ सैकण्डरी -	-	-	-
<b>अनुसंधान विंग</b>							
1-	सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी	100 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति	-	-	-	-	पद कृषि विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जायेगा
2-	सर्वेक्षक	100 प्रतिशत	-	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूगोल में स्नातकोत्तर 2. इंडियन फोटो इंटरप्रिटेशन इंस्टिट्यूशन, देहरादून से फोटोग्राफी का अल्पकालिक कोर्स ('ओ' और 'पी')	-	-	-

**अनुसूची-III**  
**(नियम 23 देखिए)**

सहायक निदेशक के पद पर भर्ती के लिये प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम.-प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम में नीचे उल्लिखित लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होंगे:-

(क) **लिखित परीक्षा.-** लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार (बहुविकल्प) के निम्नलिखित प्रश्नपत्रों के सामने दर्शित अंकों और अनुज्ञात समय के अनुसार होगी:-

प्रश्न पत्र	विषय	अंक	समय
1.	पद से संबंधित विषय	150	3 घण्टे
2.	राजस्थान का सामान्य ज्ञान	50	2 घण्टे
3.	कुल अंक	200	

(ख) **साक्षात्कार.-**अनुसूची-I में सम्मिलित सहायक निदेशक के पद के लिए साक्षात्कार केवल 24 अंकों का होगा। रिक्तियों की कुल संख्या (प्रवर्गवार) के तीन गुना अभ्यर्थियों को जिन्होंने लिखित परीक्षा में ऐसे न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त किये हैं, जैसे आयोग द्वारा नियत किये गये हैं, साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।

(ग) **पाठ्य विवरण.-** प्रत्येक प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण ऐसा होगा जो आयोग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर ऐसी रीति से, जो आयोग उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

[सं. एफ.1(2)डीओपी/ए-II/2021]  
राज्यपाल के आदेश और नाम से,  
जय सिंह,  
संयुक्त शासन सचिव।

**DEPARTMENT OF PERSONNEL**  
**A-Gr.-II**  
**NOTIFICATION**  
**Jaipur, June 29, 2021**

**G.S.R.294 .-**In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules regulating the recruitment to post(s) in, and the conditions of service of persons appointed to the Rajasthan Science and Technology State and Subordinate Services namely:-

**THE RAJASTHAN SCIENCE AND TECHNOLOGY (STATE & SUBORDINATE)**  
**SERVICE RULES, 2021**

**PART-I**  
**GENERAL**

**1. Short title, commencement and application.-**(1) These rules may be called the Rajasthan Science and Technology (State and Subordinate) Service Rules, 2021.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These rules shall not apply to the posts governed by the Rajasthan Scheduled Areas Subordinate, Ministerial and Class-IV Service (Recruitment and other Service Conditions) Rules, 2014, except as provided in those rules.

**2. Definitions.-** In these rules unless the context otherwise requires,-

- (a) **“Appointing Authority”** in respect of the posts included in the State Service means the Government and any other officer to whom powers in this behalf may be delegated by the Government by special or general order on such conditions as it may deem fit and in respect of posts included in the Subordinate Service means the Director and includes such other officer or authority who may with the approval of the Government be specially empowered by the Director to exercise the powers and perform the functions of the Appointing Authority;
- (b) **“Board”** means Rajasthan Staff Selection Board;
- (c) **“Commission”** means the Rajasthan Public Service Commission;
- (d) **“Committee”** means a Committee constituted under rule 31;
- (e) **“Department”** means the Department of Science and Technology, Rajasthan;
- (f) **“Direct recruitment”** means recruitment made in accordance with the procedure prescribed in Part-IV of these rules;
- (g) **“Director”** means the Director, Department of Science and Technology, Rajasthan;
- (h) **“Government”** means the Government of Rajasthan;
- (i) **“Member of the Service”** means a person appointed to a post in the service on the basis of regular selection under the provisions of these rules or the rules or orders superseded by these rules;
- (j) **“Schedule”** means the schedule(s) appended to these rules;
- (k) **“Service”** means the Rajasthan Science and Technology Service and the Rajasthan Science and Technology Subordinate Service, as the case may be;
- (l) **“Service” or “Experience”** wherever prescribed in these rules as a condition for promotion from one Service to another or within the service from one category to another or to senior post(s), in the case of a person holding a lower post(s) eligible for promotion to higher post(s) shall include the period for which the person has continuously worked on such lower post(s) after regular selection in accordance with the provisions of the rules promulgated under the proviso to Article 309 of the Constitution of India;

**Note:** Absence during service e.g. training, leave and deputation etc. which are treated as “duty” under the Rajasthan Service Rules, 1951, shall also be counted as service for computing experience or service required for promotion;

- (m) **“State”** means the State of Rajasthan;
- (n) **“Substantive Appointment”** means an appointment made under the provisions of these rules to a substantive vacancy after due selection by any of the methods of recruitment prescribed under these rules and includes an appointment on probation or as a probationer followed by confirmation on completion of the probationary period.

**Note:** Due selection by any of the methods of recruitment prescribed under these rules shall include recruitment either on initial constitution of service or in accordance with the provisions of any rules promulgated under proviso to Article 309 of the Constitution, except an urgent temporary appointment; and



(o) “Year” means the financial year.

**3. Interpretation.-** Unless the context otherwise requires, the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Rajasthan Act No. VIII of 1955) shall apply for the interpretation of these rules as it applies for the Interpretation of a Rajasthan Act.

## **PART-II CADRE**

**4. Composition and strength of the Service.-** (1) The nature of post(s) included in each category of the service shall be as specified in column 2 of Schedule-I or Scheduled- II, as the case may be.

(2) The strength of the post(s) in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time:

Provided that the Government may,-

- (a) create any post(s) permanent or temporary from time to time, as may be found necessary and may abolish any such post(s) in the like manner without thereby entitling any person to any compensation; and
- (b) leave unfilled or hold in abeyance or abolish or allow to lapse any post permanent or temporary from time to time without thereby entitling any person to any compensation.

**5. Initial constitution of the service.-** The service shall consist of,-

- (i) all persons holding substantively the post(s) specified in Schedule-I or Schedule-II on the date of commencement of these rules;
- (ii) all persons regularly recruited to the post(s) included in the service before the commencement of these rules; and
- (iii) all persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules, except an urgent temporary appointment under rule 35.

## **PART-III RECRUITMENT**

**6. Methods of Recruitment.-** (1) Recruitment to the post(s) in the service after the commencement of these rules shall be made by the following methods in the proportion as indicated in column 3 and 4 of Schedule-I or Schedule-II, as the case may be:-

- (i) by direct recruitment in accordance with the procedure as laid down in Part-IV of these rules; and
- (ii) by promotion in accordance with the procedure as laid down in Part- V of these rules

(2) Recruitment to the service by the aforesaid methods shall be made in such a manner that the persons appointed to the service by each method do not at any time exceed the percentage laid down in the rules/schedules of the total cadre strength as sanctioned for each category, from time to time:

Provided that,-

- (i) if the Appointing Authority is satisfied in consultation with the Commission where necessary, that suitable persons are not available for appointment by either method of recruitment in a particular year, appointment by the other method in relaxation of the prescribed proportion may be made in the same manner as specified in these rules,
- (ii) appointment, promotion, seniority and confirmation etc. of a person who joins the Army/Air Force/Navy during an Emergency shall be regulated by such

orders and instructions as may be issued by the Government from time to time, provided that these are regulated mutatis mutandis according to the instructions issued on the subject by the Government of India.

**7. Compassionate Appointment of Dependents of the Deceased/Permanently Incapacitated Armed Forces Service Personnel/Paramilitary Personnel.-** (1) Notwithstanding anything contained in these rules, the Appointing Authority may fill the vacancies of the,-

- (i) posts up to level in Pay matrix L-9 as amended from time to time, to be filled in by direct recruitment by appointing on compassionate ground one of the dependents of a member of Armed Forces/Paramilitary Forces belonging to the State who becomes permanently incapacitated on or after 1.4.1999 in any defense operations including counter insurgency operations and operations against terrorists;
- (ii) posts up to level in Pay matrix L-10 as amended from time to time, to be filled in by direct recruitment by appointing on compassionate ground, one of the dependents of a member of Armed Force/Paramilitary Forces belonging to the State who dies on or after 1.4.1999 in any defense operations including counter-insurgency operations and operations against terrorists.
- (iii) posts up to level in Pay matrix L-9 as amended from time to time, to be filled in by direct recruitment by appointing on compassionate ground one of the dependents of a member of Armed Forces belonging to the State who dies or was permanently incapacitated in war or any defense operations including counter insurgency operations and operations against terrorists during the period from 1.1.1971 to 31.3.1999.

Subject to fulfillment of the educational qualifications and other service conditions prescribed under these rules and with the concurrence of Department of Personnel and the Rajasthan Public Service Commission, if the post falls within the purview of the Commission:

Provided that,-

- (a) if the Armed Forces/Para Military personnel who are permanently incapacitated are capable of and desirous of obtaining employment for themselves under the State Government, employment shall be given to them;
- (b) if the widow or the children of the Armed Forces/Para Military personnel who are killed or permanently incapacitated are not in a position to take up employment immediately, employment will be given to them on acquiring of eligibility for appointment.

(2) Appointment shall be given to a dependent of Armed Forces/Para Military personnel only if any one of them has not got appointment on any post under the provisions of concerned service rules prevailing in the Government of India.

(3) Appointment shall not be given to such dependent if any of the other dependents of the Armed Forces/Para Military personnel is already employed on regular basis under the Central/any State Government or Statutory Board/Organization/Corporation owned or controlled wholly or partially by the Central/any State Government at the time of death of the Armed Forces/Para Military Personnel:

Provided that this condition shall not apply where the widow seeks employment for herself.

(4) Such dependent shall address an application for the purpose to the Zila Sainik Kalyan Adhikari in the case of Armed Forces and the Officer Commanding the Para Military Unit for Para Military Forces duly verified by the Head of the Unit where the deceased/permanently incapacitated member of the Armed Forces/Para Military forces was serving at the time of death/becoming permanently incapacitated. The application shall be considered in relaxation of the normal recruitment rules subject to the condition that the dependent fulfills the academic qualifications and experience, except for appointment to Class IV for which educational qualification shall be relaxed and age limit prescribed for the post and the applicant is also other wise qualified for the Government Service.

(5) The application of such dependent shall be forwarded to the District Collector concerned for suitable appointment according to the qualifications possessed by the dependent. In the event of non-availability of vacancy in the District concerned, the application shall be sent to the Divisional Commissioner who shall arrange appointment in any District under his jurisdiction. If vacant post is not available under the jurisdiction of the Divisional Commissioner, then the application shall be referred by the Divisional Commissioner to Government in the Department of Personnel for providing appointment.

(6) The application shall contain the following information:-

- (i) Name and designation of deceased/permanently incapacitated Armed Forces/Para Military Forces personnel;
- (ii) Unit in which he/she was working prior to death/becoming permanently incapacitated;
- (iii) Date and place of death with death certificate issued by the Authority competent to declare him/her a battle casualty or becoming permanently incapacitated; and
- (iv) Name, date of birth, education qualification of the applicant and his/her relation with the deceased (with certificates).

**Explanation:** for the purpose of this rule,-

- (a) **“Armed Force”** means the Army, Navy and Air Force of the Union.
- (b) **“Dependent”** means spouse of the deceased/permanently incapacitated person, son/adopted son, unmarried daughter/un-married adopted daughter who were wholly dependent on the deceased/permanently incapacitated Armed Forces Service Personnel/Para Military Personnel;  
Note: Adopted son/daughter means legally adopted son/daughter by the deceased/permanently incapacitated person during his/her life;
- (c) **“Para Military Forces”** means the Border Security Force, Central Reserve Police Force, Indo Tibetan Border Police and any other Para Military Force, as may be notified by the Central and State Government, from time to time;
- (d) **“Permanently incapacitated”** means a person who is covered under the definition of the term “person with bench mark disabilities” as provided in the Right of Person with Disabilities Act, 2016 (Central Act No. 49 of 2016).

### **8. Reservation of vacancies for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.-**

(1) Reservation of vacancies for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be in accordance with the provision of law in force at the time of recruitment i.e. by direct recruitment and by promotion.

(2) The vacancies so reserved for promotion shall be filled in by seniority- cum-merit and merit.

(3) In filling the vacancies so reserved, the eligible candidates who are members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list prepared for direct recruitment by the Commission/Board for the post(s) falling in its purview and by the Appointing Authority in other cases and the Committee or the Appointing Authority, as the case may be, in the case of promotes irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(4) Appointments shall be made strictly in accordance with the roster prescribed separately for direct recruitment and promotion.

(5) In the event of non-availability of the eligible and suitable candidates amongst the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, for direct recruitment, in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be carried forward to the subsequent three recruitment years. After the expiry of three recruitment years, such carried forward vacancies shall be filled in accordance with the normal procedure:

Provided that,-

- (i) if recruitment is not held in any recruitment year, such recruitment year shall not be counted for the purpose of this sub-rule.
- (ii) filling up of the vacancies in accordance with the normal procedure under this sub-rule shall not affect the reservation of posts as per the post based roster and vacancies on the reserved posts available in the roster may be filled in from amongst the persons belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, for which such vacancy is available in subsequent years.

(6) In the event of non availability of the eligible and suitable candidates for promotion amongst the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be carried forwarded until the suitable Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidate(s), as the case may be, are available. In any circumstances no vacancy reserved for Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidates shall be filled by promotion from General category candidates. In exceptional cases, where in the public interest, the Appointing Authority feels that it is necessary to fill up the vacant reserved post(s) by promotion from the General category candidates on urgent temporary basis, the Appointing Authority may make a reference to the Department of Personnel and after obtaining prior approval of the Department of Personnel, they may fill up such post(s) by promoting the General category candidates(s) on urgent temporary basis clearly stating in the promotion order that the General category candidates(s) who are being promoted on urgent temporary basis against the vacant post reserved for Scheduled Castes or the Scheduled Tribes candidates, as the case may be, shall have to vacate the post as and when the candidate(s) of that category become available:

Provided that there shall be no carry forward of the vacancies in posts or class/category/group of posts in any cadre or service to which promotions are made on the basis of merit alone, under these rules.

**9. Reservation of vacancies for Backward Classes and More Backward Classes.-**

Reservation of vacancies for Backward Classes and More Backward Classes shall be in accordance with the provisions of law in force at the time of direct recruitment. In the event of non-availability of eligible and suitable candidates amongst Backward Classes and More Backward Classes in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be filled in accordance with the normal procedure.

**10. Reservation of vacancies for Economically Weaker Sections.-** Reservation of vacancies for Economically Weaker Sections shall be 10% in direct recruitment in addition to the existing reservation. In the event of non-availability of eligible and suitable candidate amongst Economical Weaker Section in a particular year, the vacancy so reserved for them shall be filled in accordance with the normal procedure.

**Explanation:** For the purpose of this rule ‘**Economical Weaker Sections**’ shall be the person who are bonafide resident of Rajasthan and not covered under existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Backward Classes, the More Backward Classes and whose family has gross annual income below rupees 8.00 lakh. Family for this purpose will include the person who seek benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years. The income shall include from the all sources i.e. salary, agriculture, business, profession etc. and it will be income for the financial year prior to the year of application. Also person whose family owns or possesses any of the following assets shall be excluded from being identified as “Economical Weaker Sections”, irrespective of the family income:-

- (i) 5 Acres of agriculture land and above;
- (ii) Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- (iii) Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities; or
- (iv) Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

**11. Reservation of vacancies for Women.-**Reservation of vacancies for woman candidates shall be 30% category wise in direct recruitment, out of which one third shall be for widows and divorced women candidates in the ratio of 80:20. In the event of non-availability of the eligible and suitable candidates, either in widow or in divorcee, in a particular year, the vacancies may first be filled by interchange, i.e. vacancies reserved for widows to the divorcees or vice versa. In the event of non availability of sufficient widow and divorcee candidates, the unfilled vacancies, shall be filled by other women of the same category and in the event of non availability on eligible or suitable women candidates, the vacancies so reserved for them shall be filled up by male candidates of the category for which vacancy is reserved. The vacancy so reserved for women candidates shall not be carried forward to the subsequent year. The reservation for women including widows and divorcee women shall be treated as horizontal reservation, within the category, i.e. even the women selected in general merit of the category shall first be adjusted against the women quota.

**Explanation:** In the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee she will have to furnish the proof of divorce.

**12. Reservation of vacancies for the Outstanding Sports Persons.-** Reservation of vacancies for the outstanding sports persons shall be 2 % of the total vacancies out side the purview of the commission in that year earmarked for direct recruitment. In the event of non-availability of the eligible and suitable sports persons in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be filled up in accordance with the normal procedure and such vacancies shall not be carried forward to the subsequent recruitment year. The reservation for sports persons shall be treated as horizontal reservation and it shall be adjusted in the respective category to which the sports person belongs.

**Explanation:** “Outstanding Sports Persons” shall mean and include the Sports persons belonging to the State who:-

(i) represented Indian Team in Individual or in Team event in any International Tournament of any Sports and Games, recognized by the Indian Olympic Association or concerned recognized National Sports Federation:

or

(ii) represented Indian Team in Individual or in Team event in any International Tournament of any Sports and Games, recognized by the Indian School Sport Federation or concerned recognized National School Games Federation;

or

(iii) medal winner in the Individual or in Team event in any national Tournament of any Sports and Games, recognized by the Indian Olympic Association or concerned recognized National Sports Federation;

or

(iv) medal winner in the All India Inter University Tournament in Individual event or in Team event in the any Sports and Games, recognized by Indian Universities Association.

**13. Nationality.-** A candidate for appointment to the Service must be, –

(a) a citizen of India; or

(b) a subject of Nepal; or

(c) a subject of Bhutan; or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before 1<sup>st</sup> January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) Zambia, Malawai, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidates belonging to categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government in the Department of Home Affairs and justice after proper verification.

**14. Conditions of eligibility of persons migrated from other countries to India.-**

Notwithstanding anything contained in these rules, provisions regarding eligibility for recruitment to the service with regard to nationality, age limit and fee or other concessions to a person who may migrate from other countries to India with the intention of permanently settling in India shall be regulated by such orders or instructions as may be issued by the State Government from time to time and the same shall be regulated mutatis mutandis according to the instructions issued on the subject by the Government of India.

**15. Determination of vacancies.-**(1) Subject to the provisions of these rules, the Appointing Authority shall determine on 1<sup>st</sup> April every year the actual number of vacancies occurring during the financial year.

(2) Where a post is to be filled in by a single method as prescribed in Schedule-I and Schedule-II, the vacancies so determined shall be filled in by that method.

(3) Where a post is to be filled in by more than one method as prescribed in Schedule-I and Schedule-II, the apportionment of vacancies determined under sub-rule (1) above, to each such method shall be done maintaining the prescribed proportion for the overall number of posts already filled in. If any fraction of vacancies is left over after apportionment of the vacancies in the manner prescribed above, the same shall be apportioned to the quota of various methods prescribed in a continuous cyclic order giving precedence to the promotion quota.

(4) The Appointing Authority shall also determine the vacancies of earlier year(s), year-wise, which were required to be filled in by promotion, if such vacancies were not determined and filled earlier in the year in which they were required to be filled in.

**16. Age.-** A candidate for direct recruitment to the post(s) in the service must have attained the age of 21 years for State Service post(s) and 18 years for Subordinate Service post(s) and must not have attained the age of 40 years on the 1<sup>st</sup> day of January, next following the last date fixed for receipt of applications:

Provided that,-

- (i) the upper age limit mentioned above shall be relaxed by,-
  - (a) 5 years in the case of male candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and More Backward Classes,
  - (b) 5 years in the case of woman candidates belonging to General category and Economically Weaker Sections,
  - (c) 10 years in case of woman candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and More Backward Classes.
- (ii) the upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served the Government on a substantive basis on any post before his/her conviction and was eligible for appointment under these rules.
- (iii) in the case of other ex-prisoner the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served by him/her provided he/she was not overage before his conviction and was eligible for appointment under these rules.
- (iv) the persons appointed temporarily to a post in the service shall be deemed to be within the age limit had they been within the age limit when they were initially appointed even though they have crossed the age limit when they appear finally before the Commission/Board/ Appointing Authority and shall be allowed up to two chances had they been eligible as such, at the time of their initial appointment.
- (v) the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the service rendered in the N.C.C. in the case of Cadet instructors, if the resultant age does not exceed the prescribed minimum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit.
- (vi) the released Emergency Commissioned Officers and short Service Commissioned Officers after release from the Army, shall be deemed to be within the age limit, when they appear before the Recruitment Board, had they been eligible as such the time of their joining the Commission in the Army.

- (vii) the upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the State, Panchayat Samities and Zila Parishads and in the State Public Sector Undertaking/Corporations in substantive capacity shall be 40 years.
- (viii) there shall be no upper age limit in the case of widows and divorced women.  
**Explanation:** In the case of a widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in the case of a divorcee; she will have to furnish the proof of divorce.
- (ix) if a candidate would have been entitled in respect of his/her age for direct recruitment in any year in which no such recruitment was held, he/she shall be deemed to be eligible in the next following recruitment, if he/she is not overage by more than 3 years.

**17. Academic and Technical Qualification and Experience.-** A candidate for direct recruitment to the post(s) specified in Schedule-I or Schedule-II, as the case may be, shall possess,-

- (i) the qualifications and experience as prescribed in column 5 of Schedule-I or Schedule-II, as the case may be; and
- (ii) Working knowledge of Hindi written in Devnagari script and knowledge of Rajasthani Culture:

Provided that the person who has appeared or is appearing in the final year examination of the course which is the requisite educational qualification for the post as mentioned in the rules or schedules for direct recruitment, shall be eligible to apply for the post but he/she shall have to submit the proof of having acquired the requisite educational qualification to the appropriate selection agency,-

- (i) before appearing in the main examination, where selection is made through two stages of written examination and interview.
- (ii) before appearing in interview where selection is made through written examination and interview.
- (iii) before appearing in the written examination or interview where selection is made through only written examination or only interview, as the case may be.

**18. Character.-** The character of candidate for direct recruitment to the service must be such as shall qualify him/her for employment in the service. He/she must produce a certificate of good character from the Principal/Academic Officer of the University or College in which he/she was last educated and two such certificates written not more than six month prior to the date of application from two responsible persons not connected with his/her College or University and not related to him/her.

- Note:** (1) A conviction by a Court of law need not of itself involve the refusal of certificate of good character. The circumstances of the conviction should be taken into account and if they involve no moral turpitude or association with crimes or violence or with a movement which has as its object the over throw by violent means of the Government as by law established, the mere conviction need not be regarded as disqualification.
- (2) Ex-prisoners who by their disciplined life while in prison and by their subsequent good conduct have proved to be completely reformed should not be discriminated against on grounds of their previous conviction for the purpose of employment in the Service. Those who are convicted of offences not involving moral turpitude shall be deemed to have been completely reformed on the production of a report to that effect from the Superintendent, After Care Home or if there are no such Homes in a particular district, from the Superintendent of Police of that district.



- (3) Those convicted of offences involving moral turpitude shall be required to produce a certificate from the Superintendent, After Care Home or if there is no such Home in particular district, from the Superintendent of Police of that district endorsed by the Inspector General of Prisons to the effect that they are suitable for employment as they have proved to be completely reformed by their disciplined life while in prison and by their subsequent good conduct in an After Care Home.

**19. Physical Fitness.-** A candidate for direct recruitment to the Service must be in good mental and bodily health and free from any mental and physical defect likely to interface with the efficient performance of his/her duties as a member of the Service and if selected, must produce a certificate to this effect from a Medical Authority notified by the Government for the purpose. The Appointing Authority may dispense with production of such certificate in the case of a candidate who is already serving in connection with the affairs of the State, if he/she has already been medically examined for the previous appointment and the essential standards of medical examination of the two posts held by him/her are held to be comparable for efficient performance of duties of the new post and his/her age has not reduced his/her efficiency for the purpose.

**20. Employment of irregular or improper means.-** A candidate who is or has been declared by the Commission/Board/Appointing Authority/Committee, guilty of impersonation or of submitting fabricated documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or using or attempting to use unfair means in the examination or interview or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination or appearance at any interview, shall in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution, be debarred either permanently or for specified period,-

- (a) by the Commission/Board/Appointing Authority from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission/Board/Appointing Authority for selection of candidates;
- (b) by the Government from employment under the Government.

**21. Canvassing.-** No recommendation for direct recruitment either written or oral other than that required under these rules shall be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly or his/her candidature by any means may disqualify him/her for recruitment.

#### **PART-IV PROCEDURE FOR DIRECT RECRUITMENT**

**22. Inviting of Applications.-** (1) Application for direct recruitment to the posts in the service shall be invited by the Commission/Board or the Appointing Authority, as the case may be, by advertising the vacancies to be filled in, in the Official Gazette or in such other manner as may be deemed fit. The advertisement shall contain a clause that a candidate who accepts the assignment on the post being offered to him/her shall be paid monthly fixed remuneration at the rate fixed by the Government from time to time, during the period of probation and the pay in the level of Pay Matrix of the post as shown else-where in the advertisement shall be allowed only from the date of successful completion of the period of probation mentioned in the rules:

Provided that while selecting candidates for the vacancies so advertised, the Commission/Board or the appointing authority as the case may be, if intimation of additional requirement not exceeding 50% of the advertised vacancies, is received by them/it before the selection, also select suitable persons to meet such additional requirements.

**23. Competitive Examinations for the post of Assistant Director.-**The competitive examination for direct recruitment to the post of Assistant Director shall be held by the Commission as per the scheme specified in schedule-III.

**24. Frequency of direct recruitment.-** Direct recruitment to the post specified in Schedules shall be held at least once a year unless the Government decides that a direct recruitment for any of these posts shall not be held in any particular year.

**25. Form of Application.-** The application shall be made in the form approved by the Commission/Board or the Appointing Authority, as the case may be and obtainable from the Secretary to the Commission/Board or the appointing authority, as the case may be, on payment of such fee, if any, as the Commission/Board or the Appointing Authority as the case may be, from time to time fix.

**26. Application Fee.-** A candidate for direct recruitment to a post in the service shall pay to the Commission/Board or the Appointing Authority as the case may be, such fees as are fixed by them/it from time to time in such manner as may be indicated by them/it.

**27. Scrutiny of Applications.-** Commission/Board or the Appointing Authority, as the case may be, shall scrutinize the applications received by it and require, as many candidates qualified for appointment under these rules as seem to it desirable, to appear before it for written examination/interview or both, as the case may be:

Provided that decision of the Commission/Board or the Appointing Authority, as the case may be, regarding the eligibility or otherwise of a candidate shall be final.

**28. Recommendations.-**The Commission, Board or the Appointing Authority, as the case may be, shall prepare a list of the candidates, whom they/it consider suitable for appointment to the post concerned and arrange in the order of merit and forward the same to the Government or the Appointing Authority, as the case may be:

Provided that the Commission, Board or the Appointing Authority, as the case may be, may to the extent of 50% of the advertised vacancies, keep names of suitable candidate on the reserve list category wise. The Names of such candidates may on requisition, be recommended in the order of merit to the Government/Appointing Authority within six months from the date on which the original list is forwarded by the Commission/Board, as the case may be to the Government/Appointing Authority, as the case may be.

**29. Disqualification for appointment.-** (1) No candidate who has more than one spouse living shall be eligible for appointment to the service unless the Government after being satisfied that there are special grounds permissible under the personal law for doing so, exempt any candidate from operation of this rule.

(2) No candidate who is married to a person having already a spouse living shall be eligible for appointment to the Service unless the Appointing Authority in consultation with the Government, after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any candidate from the operation of this rule.

(3) No married candidate shall be eligible for appointment to the Service if he/she had, at the time of marriage or at any time there-after, accepted any dowry.

**Explanation:** For the purpose of this rule "Dowry" has the same meaning as in the Dowry Prohibition Act, 1961 (Central Act No. 28 of 1961).

(4) No candidate shall be eligible for appointment to the service who has more than two children on or after 1.6.2002:

Provided that,-

- (i) the candidate having more than two children shall not be deemed to be disqualified for appointment so long as the number of children he/she had on 1<sup>st</sup> June, 2002, does not increase.

- (ii) where a candidate has only one child from earlier delivery but more than one child are born out of a single subsequent delivery, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number of children.
- (iii) the provisions of this sub-rule shall not be applicable to the appointment of a widow under the provisions of the Rajasthan Compassionate Appointment of Dependents of Deceased Government Servants Rules, 1996.
- (iv) while counting the total number of children of a candidate, the child born from earlier delivery and having disability shall not be counted.
- (v) any candidate who performed remarriage which is not against any law and before such remarriage he is not disqualified for appointment under this sub-rule, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage.

**30. Selection by the Appointing Authority.-** Subject to the provisions of rule 8,9,10,11 and 12, the Appointing Authority shall select candidates in the order of merit in the list prepared under rule 28:

Provided that the inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied after such inquiry as may be considered necessary that such candidate is suitable in all other respects for appointment to the post concerned.

#### **PART-V**

#### **PROCEDURE FOR RECRUITMENT BY PROMOTION**

**31. Constitution of the Departmental Promotion Committee.-** Constitution of the Committee shall be as under:-

**(a) For post(s) falling within the purview of the Commission:**

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Chairman of the Commission or a member there of nominated by him   | Chairman         |
| 2. Secretary Incharge to the Government of the Administrative Department or his nominee not below the rank of Deputy Secretary to the Government. | Member           |
| 3. Secretary Incharge to the Government in the Department of Personnel or his nominee not below the rank of Deputy Secretary to the Government    | Member           |
| 4. Director, Science and Technology Department, Rajasthan   | Member Secretary |

**(b) For post(s) outside the purview of the Commission:**

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Director, Science & Technology Department, Rajasthan   | Chairman         |
| 2. Joint Secretary/Deputy Secretary to the Government in the Department of Personnel.                                 | Member           |
| 3. One member nominated by the Secretary Incharge to the Government of the Science & Technology Department, Rajasthan | Member           |
| 4. Joint Director, Science & Technology Department, Rajasthan:  | Member Secretary |

Provided that in case any Member or Member Secretary as the case may be constituting the committee has not been appointed to the post concerned, the officer holding

charge of the post for the time being shall be the member or Member Secretary as the case may be, of the Committee.

**32. Criteria, Eligibility and Procedure for Promotion.**-(1)As soon as the Appointing Authority determines the number of vacancies under rule 15 of these rules and decides that a certain number of posts are required to be filled in by promotion, it shall subject to the provisions of sub-rule (6), prepare a correct and complete list of the senior most persons who are eligible and qualified under these rules for promotion on the basis of seniority cum merit or on the basis of merit to the class of posts concerned.

(2)The persons enumerated in column 6 of Schedule-I and Schedule-II, as the case may be, shall be eligible for promotion to the post(s) specified against them in column 2 thereof to the extent indicated in column 4 subject to their possessing minimum qualification and experience, on the first day of the month of April of the year of selection, as specified in column 7.

(3) No person shall be considered for first promotion in the service unless he/she is regularly selected on the post from which promotion is to be made in accordance with one of the methods of recruitment prescribed under the provisions of these rules.

**Explanation:** In case direct recruitment to the post(s) has been made earlier than regular selection by promotion in a particular year, such of the persons who are or were eligible for appointment to that post by both the methods of recruitment and have been appointed by direct recruitment first, shall also be considered for promotion.

(4) No person shall be considered for promotion for three recruitment years from the date on which his/her promotion becomes due, if he/she has more than two children on or after 1<sup>st</sup> June, 2002:

Provided that,-

- (i) the person having more than two children shall not be deemed to be disqualified for promotion so long as the number of children he/she has on 1 June,2002, does not increase.
- (ii) where a person has only one child from the earlier delivery but more than one child are born out of a single subsequent delivery, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number of children.
- (iii) while counting the total number of children of a candidate, the child born from earlier delivery and having disability shall not be counted.
- (iv) any person who performed remarriage which is not against any law and before such remarriage he is not disqualified for promotion under this sub-rule, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage.

(5) Selection for promotion on the post(s) included in the service shall be made on the basis of seniority-cum-merit:

Provided that promotion on the highest post in the State service, if it is at least third promotion, shall be made on the basis of merit alone:

Provided further that if the Committee is satisfied that suitable persons are not available for selection by promotion to the highest post(s) strictly on the basis of merit in a particular year, selection by promotion to the post(s) on the basis of seniority-cum-merit may be made in the same manner as specified in these rules.

(6) The Zone of consideration of persons eligible for promotion shall be as under:-

- |                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| (i) <b>Number of vacancies</b> | - | <b>Number of eligible persons to be considered</b> |
|--------------------------------|---|--|

- (a) for one vacancy - five eligible persons  
(b) for two vacancies - eight eligible persons  
(c) for three vacancies - ten eligible persons  
(d) for four or more vacancies - eligible persons equal to three times, the number of vacancies.
- (ii) Where the number of eligible persons for promotion to higher post is less than the number specified above all the persons so eligible shall be considered.
- (iii) Where adequate number of the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, are not available within the zone of consideration specified above, the zone of consideration may be extended upto seven times the number of vacancies and the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be (and not any other), coming within the extended zone of consideration shall also be considered against the vacancies reserved for them.
- (iv) For any post in the service, except otherwise provided in the Schedules appended to these rules,-
- (a) if promotion is from more than one categories of posts in the same level in pay matrix, eligible persons up to two in number from each category of posts in the same level in pay matrix shall be considered for promotion.
- (b) if promotion is from more than one categories of posts carrying different level in pay matrix, eligible persons in the higher level in pay matrix shall be considered for promotion first and if no suitable persons is available for promotion on the basis of merit or seniority cum merit as the case may be, in the higher level in pay matrix then only the eligible persons of other categories of posts in lower level in pay matrix shall be considered for promotion and so on and so forth. The zone of consideration for eligibility in this case shall be limited to five senior most eligible persons in all.

(7) Except as otherwise expressly provided in this rule, the conditions of eligibility for promotion, constitution of the Committee and procedure for selection shall be the same as prescribed elsewhere in these rules.

(8) The Committee shall consider the cases of all the senior most persons who are eligible and qualified for promotion to the class of post(s) concerned under these rules and shall prepare a list containing names of the persons found suitable on the basis of seniority-cum-merit or on the basis of merit, as the case may be, as per the criteria for promotion laid down in these rules, equal to the number of vacancies determined under these rules. The list so prepared on the basis of seniority-cum-merit and/or on the basis of merit, as the case may be, shall be arranged in the order of seniority in the category of post(s) from which selection is made.

(9) The Committee may also prepare a list on the basis of seniority-cum-merit or on the basis of merit, as the case may be, as per the criteria for promotion laid down in these rules containing names of persons not exceeding the number of persons selected in the list prepared under sub-rule (8) above to fill temporary or permanent vacancies which may occur subsequently. The list so prepared on the basis of seniority-cum-merit or on the basis of merit, as the case may be, shall be arranged in the order of seniority in the category of post from which selection is made. Such a list shall be reviewed and revised by the Committee

that meets in the subsequent year and that such list shall remain in force till the end of the last day of the year for which the meeting of the Committee is held.

(10) Lists prepared under sub-rule (8) and (9) shall be sent to the Appointing Authority together with Annual Performance Appraisal Reports/Annual Confidential Reports and other service records of all the candidates included in the lists as also of those not selected, if any.

**Explanation:** For the purpose of selection for promotion on the basis of merit, no person shall be selected if he/she does not have "Outstanding" or "Very Good" records of at least four out of seven years preceding the year for which the meeting of the Committee is held.

(11) If in any subsequent year, after promulgation of these rules, vacancies relating to any earlier year are determined under these rules which were required to be filled in by promotion, the Committee shall consider the cases of all such persons who would have been eligible in the year to which the vacancies relate irrespective of the year in which the meeting of the Committee is held and such promotion shall be governed by the criteria and procedure for promotion as was applicable in the particular year to which the vacancies relate and the service/experience of an incumbent who has been so promoted, for promotion to higher post for any period during which he/she has not actually performed the duties of the post to which he/she would have been promoted, shall be counted. The pay of a person who has been so promoted shall be re – fixed at the pay which he would have derived at the time of his/her promotion but no arrears of pay shall be allowed to him/her.

(12) The Government or the Appointing Authority, as the case may be, may order for the review of the proceedings of the Committee held earlier on account of some mistake or error apparent on the face of records, or on account of a factual error substantially affecting the decision of the Committee or for any other sufficient reasons e.g. change in seniority, wrong determination of vacancies, judgment/direction of any Court or Tribunal, or where adverse entries in the Confidential Reports of an individual are expunged or toned down or a punishment inflicted on him/her is set aside or reduced. The concurrence of the Department of Personnel and the Commission/Board (where Commission/Board is associated) shall always be obtained before holding the meeting of the review Committee.

(13) Where consultation with the Commission is necessary, the lists prepared by the Committee shall be forwarded to the Commission by the Appointing Authority along with the Personal Files and Annual Confidential Rolls/Annual Performance Appraisal Reports of all the persons whose names have been considered by the Committee.

(14) The Commission/Board shall consider the lists prepared by the committee along with other relevant documents received from the Appointing Authority and unless any change is considered necessary shall approve the lists. In case the Commission considers it necessary to make any change in the lists received from the Appointing Authority, it shall inform the Appointing Authority of the changes proposed by it. After taking into account the comments of the Commission, if any, the Appointing Authority may approve the lists finally with such modification as may, in its opinion, be just and proper and when the Appointing Authority is an authority subordinate to the Government, the lists approved by the Commission shall be disturbed only with the approval of the Government.

(15) The Appointments shall be made by the Appointing Authority taking persons out of the lists finally approved under preceding sub-rule (14) in the order in which they have been placed in the lists, till such lists are exhausted or reviewed and revised or remain in force, as the case may be.

(16) The Government may issue instructions for provisionally dealing with promotions, appointments or other ancillary matters in an equitable and fair manner of persons who may be under suspension or against whom departmental proceedings is under progress, at the time

of promotion are considered to a post to which they are eligible or would have been eligible but for such suspension or pendency of such enquiry or proceedings.

(17) The provisions of this rule shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any provision of these rules.

**33. Restriction of promotion of persons foregoing promotions.-** In case a person, on his/her appointment by promotion to the next higher post either on the basis of urgent temporary appointment or on regular basis on the recommendation of the Committee, foregoes such an appointment through his/her written request, and if the concerned Appointing Authority accepts his/her request, the person concerned shall be debarred from consideration for promotion (both on the basis of urgent temporary appointment or on regular basis) for subsequent two recruitment years for which the Committee is held and the name of such a person who foregoes promotion shall not be included in the seniority cum eligibility list to be placed before the Departmental Promotion Committee for subsequent two recruitment years.

## PART-VI

### APPOINTMENT, PROBATION AND CONFIRMATION

**34. Appointment to the Service.-** Appointment to post(s) in the Service by direct recruitment as probationer trainees on fix remuneration or by promotion, as the case may be, shall be made by the Appointing Authority on occurrence of substantive vacancies from the candidates selected under rule 28 in order of merit and by promotion from the persons selected under rule 32.

**35. Urgent temporary appointment.-**(1) A vacancy in the service which can not be filled in immediately either by direct recruitment or by promotion under these rules, may be filled in by the Government or by the authority competent to make appointments, as the case may be, by appointing in an officiating capacity thereto a person eligible for appointment to the post by promotion or by appointing temporarily thereto a person eligible for direct recruitment to the Service, where such direct recruitment has been provided under the provisions of these rules:

Provided that,-

- (i) such an appointment shall not be continued beyond a period of one year without referring the case to the Commission for concurrence, where such concurrence is necessary and shall be terminated immediately on its refusal to concur.
- (ii) in respect of the service or a post in the service for which both the methods of recruitment have been prescribed, the Government or the Appointing Authority, as the case may be, competent to make appointment, shall not, save with the specific permission of the Government in the Department of Personnel in the case of State Services and Government in the Administrative Department concerned in respect of other services, fill the temporary vacancy against the direct recruitment quota by a whole-time appointment for a period exceeding three months, otherwise than out of persons eligible for direct recruitment and after a short-term advertisement.

(2) in the event of non-availability of suitable persons fulfilling the requirement of eligibility for promotion, Government may, notwithstanding the condition of eligibility for promotion required under sub-rule (1) above, lay down general instructions for grant of permission to

fill the vacancies on urgent temporary basis subject to such conditions and restrictions regarding pay and other allowances as it may direct. Such appointments shall however be subject to concurrence of the Commission as required under the same said sub-rule.

**36. Seniority.-** Seniority of persons appointed to the post encadred in the service shall be determined from the date of appointment on the post after regular selection in accordance with the provisions of these rules. Appointment on ad hoc or urgent temporary basis shall not be deemed to be appointment after regular selection:

Provided that,-

- (i) the inter-se-seniority of persons appointed to a post in a particular category by direct recruitment on the basis of one and the same selection, except those who do not join Service when a post is offered to them within a period of six weeks from the date of issue of order or longer, if extended by the Appointing Authority, shall follow the order in which their names have been placed in the list prepared under rule 28 of these rules.
- (ii) if two or more persons are appointed to the service during the same year, a person appointed by promotion shall rank senior to a person appointed by direct recruitment.
- (iii) the persons selected and appointed as a result of a selection, which is not subject to review and re vision, shall rank senior to the persons who are selected and appointed as a result of subsequent selection.
- (iv) that seniority inter-se of persons selected on the basis of seniority cum merit and on the basis of merit in the same selection shall be the same as in the next lower level.
- (v) that reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees, with consequential seniority, shall continue till the roster points are exhausted, and adequacy of promotion is achieved. Once the roster points are complete the theory of replacement shall thereafter be exercised in promotion whenever vacancies earmarked for Scheduled Castes/Scheduled Tribes employees occurs.

**Explanation:** “Adequate representation” means 16% representation of the Scheduled Castes and 12% representation of the Scheduled Tribes in accordance with the roster point.

**37. Period of Probation.-** (1) A person entering the service by direct recruitment against a clear vacancy shall be placed as the Probationer-trainee for a period of two years:

Provided that any period after such appointment during which a person has been on deputation on a corresponding or higher post shall count towards the period of probation.

(2) During the period of probation specified in sub-rule (1), each probationer trainee may be required to pass such Departmental Examination and to undergo such training as the Government may, from time to time, specify.

**38. Confirmation in certain case.-** (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in the preceding rule, a person appointed to a post in the service temporarily or on officiating basis who, after regular recruitment by any one of the methods of recruitment prescribed under these rules, has not been confirmed within a period of six months after satisfactory completion of the period of probation of two years' service in case he/she is appointed by direct recruitment as a probationer trainee or within a period of one year's service in case he/she is appointed by promotion, shall be entitled to be treated as confirmed in accordance with his/her seniority if,-



- (i) he/she has worked on the post or higher post under the same Appointing Authority or would have so worked but for his/her deputation or training;
- (ii) he/she fulfills conditions as are prescribed under rule relating to confirmation subject to the quota prescribed under these rules; and
- (iii) Permanent vacancy is available in the Department.

(2) If an employee referred to in sub-rule(1) above fails to fulfill the conditions mentioned in the said sub-rule the period mentioned in sub-rule (1) above, may be extended as prescribed for a probationer trainee under the Rajasthan Civil Services (Departmental Examinations) Rules, 1959 and any other rules or by one year, whichever is longer. If the employee still fails to fulfill the conditions mentioned in sub-rule (1) above, he shall be liable to be discharged or terminated from such post in the same manner as a probationer trainee or reverted to his substantive or lower post, if any to which he may be entitled.

(3) The employee referred to in sub-rule (1) above, shall not be debarred from confirmation after the said period of service, if no reasons to the contrary about the satisfactory performance of his work are communicated to him/her within the said period of service.

(4) The reasons for not confirming of any employee referred to in sub-rule (1) above shall be recorded by the appointing authority in his Service Book and Annual Performance Appraisal Report.

**Explanation:** (i) Regular recruitment for the purpose of this rule shall mean:

- (a) appointment by either method of recruitment or on initial constitution of service in accordance with the rules made under the proviso to Article 309 of the Constitution of India.
- (b) appointment to the post for which no Service Rules exist, if the post is within the purview of the Commission, recruitment in consultation with them;
- (c) appointment by transfer after regular recruitment where the Service Rules specifically permit;
- (d) persons who have been made eligible for substantive appointment to a post under these rules shall be treated as having been regularly recruited:

Provided that it shall not include urgent temporary appointment or officiating promotion which is subject to review and revision.

- (ii) Persons who hold lien on another cadre shall be eligible to be confirmed under this rule and they will be eligible to exercise an option whether they do not elect to be confirmed on the expiry of two years of their temporary appointment under this rule. In the absence of any option to the contrary they shall be deemed to have exercised option in favour of confirmation under this rule and their lien on the previous post shall cease.

**39. Unsatisfactory progress during probation.-** If it appears to the Appointing Authority, at any time, during or at the end of the period of probation, that services of a probationer trainee are not found to be satisfactory, the appointing authority may revert him/her to the post on which he/she is regularly selected immediately preceding his/her appointment as probationer-trainee or in other cases may discharge or terminate him/he from service. The appointing authority shall accord appropriate opportunity to the probationer-trainee before final orders are passed in this respect:

Provided that the Appointing Authority may, if it so thinks fit in any case or class of cases, extend the period of probation of any probationer-trainee by a specified period not exceeding one year.

**40. Confirmation.-** A person placed on probation under rule 37, shall be confirmed in his/her appointment at the end of his / her period of probation, if,-

- (a) he/she has passed the departmental examination and has successfully undergone such training, as the Government may, from time to time specify;
- (b) he/she has passed a departmental test of proficiency in Hindi; and
- (c) the Government/Appointing Authority is satisfied that his/her integrity is unquestionable and that he/she is otherwise fit for confirmation.

## PART-VII

### PAY

**41. Scale of Pay.-** The pay in the level of Pay Matrix of a person appointed to a post in the service shall be such as may be admissible under the rules referred to in rule 43 or as may be sanctioned by the Government from time to time.

**42. Pay during probation.-** A probationer trainee appointed to the service by direct recruitment shall be paid monthly fixed remuneration during the period of probation at such rates as may be fixed by the Government from time to time:

Provided that an employee having been regularly selected as per provisions of recruitment rules in the Government service may be allowed emoluments in his/her own Pay Matrix in the existing level in pay matrix of the post during service as probationer trainee or fixed remuneration of the new post, provision the rule 24 of Rajasthan Service Rules.

**43. Regulation of Pay, Leave, Allowances, Pension, Contributory Pension etc.-** Except as provided in these Rules, the pay, allowances, pension, contributory pension, leave and other conditions of service of the members of the service, shall be regulated by,-

- (i) the Rajasthan Service Rules, 1951, as amended from time to time,
- (ii) the Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1958, as amended from time to time;
- (iii) the Rajasthan Traveling Allowance Rules, 1971, as amended from time to time;
- (iv) the Rajasthan Civil Services (Conduct) Rules, 1971, as amended from time to time;
- (v) the Rajasthan Civil Services (Pension) Rules, 1996, as amended from time to time;
- (vi) the Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scales) Rules, 1998, as amended from time to time;
- (vii) the Rajasthan Civil Services (Contributory Pension) Rules, 2005, as amended from time to time;
- (viii) the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008, as amended from time to time;
- (ix) the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017, as amended from time to time, and

- (x) any other Rules prescribing general conditions of service made by the appropriate authority under the proviso to Article 309 of the Constitution of India and for the time being in force.

**44. Power to relax rules.-** In exceptional cases where that Administrative Department of the Government is satisfied that operation of the rules relating to age or regarding requirement of experience for recruitment causes undue hardship in any particular case or where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to relax any of the provisions of these rules with respect to age or experience of any person, it may, with the concurrence of the Department of Personnel and in consultation with the Commission, where necessary, by order dispense with or relax the relevant provisions of these rules to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner:

Provided that,-

- (i) such relaxation shall not be less favorable than the provisions already contained in these rules. Such cases of relaxation shall be referred to the Commission by Administrative Department concerned.
- (ii) relaxation in the prescribed period of service or experience under this rule shall only be granted to the extent of 1/3 period of the service or experience prescribed for promotion to any post before holding the meeting of the Departmental Promotion Committee.
- (iii) where the prescribed period of experience for promotion to any post is less than 6 years, a committee headed by the Chief Secretary comprising of Principal Secretary Finance, Principal Secretary/Secretary Department of Personnel and Principal Secretary/Secretary of the Administrative Department, may consider the cases where forty five percent or more posts are vacant. The committee is empowered to suggest the quantum of relaxation in experience which may be granted in such cases to address the issue of large number of vacancies in promotional posts subject to condition that such relaxation in experience shall not be more than two years.

**45. Removal of Doubts.-** If any doubt arises relating to the application and scope of these rules, it shall be referred to the Government in the Department of Personnel whose decision thereon shall be final.

**46. Repeal and Saving.-** Rajasthan Civil Services (Special Selection and Special Conditions of Services of Project Directors, Project Officers and Research Officers in the Department of Science & Technology) Rules, 1986 and all the posts and entries thereto under head Science & Technology Department Section of the Schedule appended to the Rajasthan Subordinate Services (Recruitment and Other Service Conditions) Rules, 2001 and all rules and orders in relation to matters covered by these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed:

Provided that any action taken under the rules and orders so repealed shall be deemed to have been taken under the provisions of these rules.

#### Schedule-I State Services, Posts

S. No.	Name of the post	Method of recruitment with percentage	Minimum qualification and experience for direct recruitment	Post from which promotion is to be made	Minimum qualification and experience	Remarks
--------	------------------	---------------------------------------	---	---	--------------------------------------	---------

1	2	Direct	Promotion	5	6	for promotion	8
1.	Joint Director	-	100%	-	Deputy Director	Three years experience on the post mentioned in the column 6.	-
2.	Deputy Director	-	100%	-	Assistant Director	Three years experience on the post mentioned in the column 6.	-
3.	Assistant Director	50%	50%	1. Ist Class Master's degree in Natural or Agricultural sciences. OR Ist Class Masters degree in Engineering or Technology. OR Ist Class M.Sc/M.Tech (with graduate degree in science/engineering) in Remote Sensing & G.I.S from a recognized university or equivalent and 2. Two Years specialized experience in research & development/industrial/academic institution/science & technology organization	1. Junior Scientific Assistant, 2. Junior Engineer 3. Curator	Ten year's experience on the posts of Junior Scientific Assistant/Junior Engineer OR Three year's experience on the post of Curator	-

**Schedule-II  
Subordinate Services, Posts**

S. No.	Name of the post	Method of recruitment with percentage		Minimum qualification and experience for direct recruitment	Post from which promotion is to be made	Minimum qualification and experience for promotion	Remarks
		Direct	Promotion				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Science Center/Science Park and Museum Wing</b>							
1.	Curator	-	100%	-	Assistant Curator	Eight years experience on the post mentioned in the column 6	-
2.	Assistant Curator	100%	-	1.B.Sc. With Ist Division from a university established by law in India. Or Diploma in Civil/Mech./Electrical/ Electronics Engineering with Ist Division of the State Technical Education Board. Or Degree/Diploma in Museums	-	-	-

				Studies. 2. Two years' experience in field of science museums, Science Parks or Science Centers.			
3.	Education Assistant	100%	-	Bachelors in science with Physics, Chemistry, Mathematics or Biology Subjects with one year's experience of teaching Science in School or involvement in science Popularization activities in an institution of repute.	-	-	-
4.	Technician	100%	-	1. Secondary from a recognized board. 2. Two years duration ITI Certificate in the trade and one year experience after obtaining the certificate. Or Certificate of Electrician Motor Winding/House Wiring and three years experience in the trade.	-	-	-
<b>Technical Wing</b>							
1.	Junior Scientific Assistant	100%	-	1. B.Sc of a University established by law in India Or Diploma in Civil/Mech./Electrical /Electronics Engineering in Ist Division of the State Technical Education Board. 2. Two years experience in the field of Science & Technology.	-	-	-
2.	Junior Engineer	100%	-	Degree/Diploma in Civil/Mech./Electrical/ Agriculture Engineering in Ist Division of the Recognized University/State Technical	-	-	-

				Education Board.			
3.	Supervisor	100%	-	-	-	-	No further recruitment shall be made and as and when the post falls vacant deemed to be abolished
4.	Record Keeper	100%	-	Graduate with Degree/Diploma/Certificate in Library Science of a recognized University/Institution. Or Graduate with short course ('O' or 'P') of photography Indian Photo interpretation Institution. Dehradun.	-	-	-
<b>Drawing Wing</b>							
1.	Senior Draftsman	-	100%	-	Junior Draftsman	Five years experience on the post mentioned in the column 6	-
2.	Junior Draftsman	-	100%	-	Tracer	Five years experience on the post mentioned in the column 6	-
3.	Tracer	75%	25%	Draftsman Certificate (Civil) from National Council of Vocational trade or ITI Certificate in the Trade.	Ferro man	Secondary with drawing of a recognized Board with five years experience on the post motioned in the column 6	-
4.	Ferro man	100%	-	Secondary with drawing from a recognized Board	-	-	-
<b>Research Wing</b>							
1.	Asstt. Agriculture Research Officer	100% Deputation	-	-	-	-	The post shall be filled in by deputation from Agriculture Department
2.	Surveyor	100%	-	I.M.A. in Geography of a University	-	-	-

				established by law in India			
				2.Short course ("O"&"P") of photography from Indian photo interpretation Institute, Dehradun			

**"SCHEDULE-III"**

[See rule 23]

**Scheme of competitive examination for recruitment on the post of Assistant Director.-** The scheme of competitive examination shall consist of written examination and interview as mentioned below:-

**(A) Written Examination.-** The written examination shall consist of following papers consisting of objective type (Multiple Choice) questions carrying the marks and time allowed, as shown against them:-

Paper	Subjects	Marks	Time
1.	Subjects Concerned with the post	150	3 hrs.
2.	General Knowledge of Rajasthan	50	2 hrs.
3.	Total Marks	200	

**(B) Interview. -** The Interview shall carry 24 marks only for the post of the Assistant Director included in Schedule-I. To the extent of 3 times of total number of vacancies (category wise), the candidates, who obtain such minimum qualifying marks in written examination as may be fixed by the Commission summoned for interview.

**(C) Syllabus. -** The syllabus of each paper shall be specified by the Commission, from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission deems fit.

[No. F. 1 (2) DOP /A-II/2021]

By order and in the name of the Governor,  
JAI SINGH,  
JOINT SECRETARY TO THE GOVT.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।